सर्व शिक्षा अभियान

परसपेक्टिव प्लान

२००२.२००७

तथा

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

२००३.०४

जनपद-संत कबीर नगर

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
१	जनपद का सामान्य परिचय	१.३
२	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	४.१३
३	सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य एवं लक्ष्य	१४.१५
४	नियोजन प्रक्रिया	१६.१९
५	समस्या एवं रणनीति	२०.२३
६	शिक्षा की पहुँच का विस्तार-१	२४.२७
७	शिक्षा की पहुँच का विस्तार -२	२८.४२
८	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	४३.५८
९	गुणवत्ता संवर्द्धन	५९.११०
१०	परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	१११.१२१
११	परियोजना लागत	१२२.१२६
१२	परियोजना लागत का सारांश	१२७
१३	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष २००३-०४	128 -129

अध्याय-१

जनपद की पृष्ठभूमि

बस्ती मण्डल में स्थित जनपद संत कबीर नगर की स्थापना १९९७ ई० में हुई। इस जनपद में संत कबीर की निर्वाण स्थली होने के कारण इसका नाम संत कबीर नगर रखा गया। इस जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद में हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- २८ (लखनऊ मोकामा घाट रोड) के २३१ वें किलोमीटर पर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ गोरखपुर प्रखण्ड पर गोरखपुर से ३५ वें कि०मी० पर पश्चिम में एवं बस्ती से ३० कि०मी० पूरब में स्थित है। नेपाल हिमालय क्षेत्र की सन्निकटता के कारण यहाँ की जलवायु पूर्वी उत्तर-प्रदेश के अन्य स्थानों से भिन्न है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग १२६० मि०मी० एवं उच्चतम तापमान ४३° तथा न्यूनतम तापमान ६° से०ग्रे० तक रहता है। इस जनपद की पूर्वी सीमा गोरखपुर से, पश्चिमी बस्ती से, उत्तरी सिद्धार्थ नगर से तथा दक्षिणी सीमा अम्बेडकर नगर जनपद से लगी हुयी है।

दिनांक १६.०२.२००३ को माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने जनपद संत कबीर नगर में जिला मुख्यालय का शिलान्यास भी कर दिया है। पूर्व में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) की कार्ययोजना पूर्व जनपद बस्ती के साथ स्वीकृत थी, परन्तु सर्व शिक्षा अभियान में जनपद संत कबीर नगर की कार्य योजना पृथक बनायी गयी है। जनपद में वर्ष १९९७ से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जो जून २००३ में समाप्त हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा क्षमता संवर्द्धन में विकास करना रखा गया था, जिसका लाभ जनपद के शैक्षिक विकास में प्राप्त हो रहा है। इस कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जनपद में हो चुका है।

जनपद संत कबीर नगर में तीन तहसील एवं आठ विकास खण्ड है। यह तहसीलें है- खलीलाबाद, मेंहदावल एवं धनघटा। खलीलाबाद तहसील में तीन विकास खण्ड, मेंहदावल में दो विकास खण्ड तथा धनघटा में तीन विकास खण्ड है। इस प्रकार जनपद के आठ विकास खण्ड हैं- खलीलाबाद, बघौली, सेमरियावाँ, मेंहदावल, बेलहरकला, नाथनगर, हैंसर बाजार एवं पौली। इनमें से पौली एवं बेलहर कला

इस जनपद में कुल ८५ न्याय पंचायत, ६४८ ग्राम पंचायत, ०३ नगर पंचायत एवं ०१ नगरपालिका परिषद है। इनमें से शिक्षा विभाग का कार्यक्षेत्र केवल ७७ न्याय पंचायतों मे ही है। अवशेष ८ न्याय पंचायतों में शैक्षिक कार्य जनपद सिद्धार्थ नगर की देख-रेख में किया जाता है।

सारणी-१.१

जिले की प्रशासनिक ईकाइयां

ग्रामीण क्षेत्र

तहसील	०३
विकास खण्ड	०८
न्याय पंचायत	७७
ग्राम पंचायत	६४८
राजस्व ग्राम	१७२७

नगरीय क्षेत्र

नगरपालिका	०१
टाउन एरिया	०३

स्रोत- सांख्यिकी कार्यालय

जनपद संत कबीर नगर हस्तकरघा वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा तॉबें एवं पीतल के बर्तन के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हस्तकरघा वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रचलित उद्योग है। हैण्डलूम वस्त्रों के क्रय-विक्रय के लिए प्रति सप्ताह सोमवार को बाजार लगता है, जिसमें दूर-दूर के व्यापारी बेचने एवं खरीदने के लिए आते है और करोड़ों का व्यापार होता है। धीरे-धीरे समय के साथ अनेक उद्योग-धन्धों का विकास हुआ। इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुयी, जिसमें वनस्पति घी उद्योग, ब्रेड एवं बिस्कुट उद्योग, पेपर उद्योग, कताई मिल, रोलिंग, मिल

बेल्डिंग, गैस प्लांट, रंगाई, छपाई उद्योग की स्थापना हुयी। इस जनपद में चीनी उद्योग भी निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया गया है।

जनपद संत कबीर नगर की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। इस जनपद की लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिसका मुख्य पेशा खेती करना है। इस जनपद में धान, गेंहू, गन्ना, सरसों आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ के किसान कुछ क्षेत्रों में केले की खेती प्रमुख रूप से करते हैं।

जनपद की प्रमुख नदी आमी, जो जिले के उत्तर से बहते हुए पूरब की ओर जाती है। जिले के पश्चिम में कठिनईया नदी है तथा जिले के दक्षिण में सरयू तथा कुआनों नदियाँ बहते हुए आती है। खेतों की सिंचाई के लिए परियोजना के अन्तर्गत नहरें निकाली गयी है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने पर इन नदियों में जल बढ़ने से बाढ़ आ जाती है और जिले में बाढ़ग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे जनपद के शिक्षा की प्रगति भी प्रभावित होती रहती है।

अध्याय-२

जनसंख्या एवं शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर ४१.४२ प्रतिशत है जिसमें ५३.६६ प्रतिशत पुरूष एवं २८.८८ प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार संत कबीर नगर जिले की कुल आबादी लगभग १४.२४ लाख है, जिसमें ७.०५ लाख महिलाएं है। पुरूष महिला अनुपात ५०. ५१:४९ है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का ९२.९० प्रतिशत है। संत कबीर नगर मुख्य रूप से हिन्दू बाहुल्य जनपद हैं जिसमें ८४ प्रतिशत हिन्दू तथा लगभग १६ प्रतिशत मुस्लिम निवास करते हैं।

सारणी-२.१

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष २००१ की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग
१	खलीलाबाद	८४१४२	८०९८८	१६५१३०
२	सेमरियावां	१०१२८२	९९४८६	२००७६८
३	बघौली	८८६७३	८७५३८	१७६२११
४	मेंहदावल	७७२८०	७०१०८	१४७३८८
५	बेलहर कला (सांथा)	१०६७८९	११०४३४	२१७२२३
६	नाथनगर	८४५३२	८२२३८	१६६७७०
७	हैंसर एवं पौली	१२४२९२	१२५६०६	२४९८९८
	योग	६६७९९०	६५६३९८	१३२३३८८

नगरीय जनसंख्या

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	वर्ष २००१ की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग
१	मेंहदावल	१२९१४	११७६९	२४६८३
२	मगहर	८२८०	७५५४	१५८३४
३	हरिहरपुर	४७३१	४५२६	९२५७
४	लेदुआभकुआ	६०४६	५४७८	११५२४
	योग	५३०३८	४८०७४	१०१११२
	महायोग	**७२००२८**	**७०४४७२**	**१४२४५००**

सारणी-२.२

साक्षरता सम्बन्धी विवरण

जनपद का साक्षरता विवरण	साक्षरता प्रतिशत
१. कुल साक्षरता	४१.४२
२ कुल महिला साक्षरता	२८.८८
३. कुल पुरूष साक्षरता	५३.६६
४. ग्रामीण साक्षरता	३४.००
५. नगरीय साक्षरता	५१.८१
६. ग्रामीण पुरूष साक्षरता	४८.४७
७. ग्रामीण महिला साक्षरता	१९.५४
८. नगरीय पुरूष साक्षरता	६१.६५
९. नगरीय महिला साक्षरता	४१.६६

सम्पूर्ण जनपद की महिला साक्षरता दर २८.८८ प्रतिशत है। सन् १९९१ में लगभग १७ प्रतिशत महिलायें जनपद की साक्षर थी। उल्लेखनीय है कि इस दशक में लगभग १२ प्रतिफल की वृद्धि दर्ज की गयी है, फिर भी यह राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से काफी नीचे है तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्यून महिला साक्षरता दर के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संसाधन की आवष्यकता महसूस की जा रही है।

उक्त तालिका का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि कुल महिला साक्षरता २८.८८ के सापेक्ष नगरीय महिला साक्षरता ४१.६६ है जबकि ग्रामीण महिला साक्षरता १९.५४ है। विकास खण्डवार सबसे कम साक्षरता दर वाला विकास खण्ड मेंहदावल एवं हैंसर है, जिसकी महिला साक्षरता दर क्रमशः ११.२० एवं १३.८० तथा सार्वाधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड नाथनगर है, जहां की महिला साक्षरता १९.५० प्रतिशत है।

सारणी-२.३

विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	सक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
१	खलीलावाद	५५.७०	१६.६०	३७.००
२	सेमरियावां	५१.६०	१६.३०	३६.१०
३	बघौली	५२.५०	१५.५०	३४.६०
४	मेहदावल	४५.००	११.२०	३८.६०
५	सांथा /बेलहर कला	४६.००	१२.००	२६.८०
६	हैंसर बाजार एवं पौली	४८.००	१३.८०	३१.२०
७	नाथनगर	५६.२०	१६.५०	३६.६०
	योग ग्रामीण	४८.४७	१६.५४	३४.००
	नगर क्षेत्र	६१.६५	४१.६६	५१.८१
	महायोग	५३.६६	२८.८८	४१.४२

जनपद संत कबीर नगर में प्रत्येक १,६५० जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय है। कुल प्राथमिक विद्यालय ६०३ है, जिसमें ७८२ परिषदीय एवं १२१ मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल है।

छात्र नामांकन :- परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष २००२-०३ की स्थिति निम्न प्रकार है -

आयु वर्ग	कुल जनसंख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			अनुसूचित जाति		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
६-११	१०८७४४	९९५२२	२०५२९६	७२६७४	६६६८३	१३९३५७	२६५७०	२५००६	५१५७६
११-१४	६०६४२	५७६६६	११८६०८	१६७५६	१२१७७	३१९३३	६१८७	३८९२	१००७९
योग:	१६९६८६	१५४१८८	३२३८७४	८९४३०	७८८६०	१७१२९०	३२७५७	२८८९८	६१६५५

सारणी-२.४

जिले की शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
१	प्राथमिक विद्यालय	७८२	.	७८२	१२१	.	१२१	९०३	.	९०३	५६	.	५६
२	मा० वि०सम्बद्ध प्रा०	०१	.	०१	.	.	.	०१	.	०१	.	.	.
३	उच्च प्रा०विद्यालय	206	.	206	४७	.	४७	253	.	253	१८	.	१८
४	मा०वि०सम्बद्ध उ०प्रा०वि०	१	.	१	५०	.	५०	५१	.	५१	.	.	.
५	केन्द्रीय विद्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
६	नवोदय विद्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
७	हाई स्कूल	१	.	१	३१	.	३१	३२	.	३२	.	.	.
८	इण्टरमीडिएट	.	.	.	२०	.	२०	२०	.	२०	.	.	.
९	डिग्री कालेज	१	.	१	३	.	३	४	.	४	.	.	.
१०	स्नातकोत्तर महा०	.	.	.	३	.	३	३	.	३	.	.	.
११	विश्वविद्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
१२	तकनीकी संस्थान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
१३	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	२	.	२
१४	आंगनवाड़ी केन्द्रों की सं०	६८४	.	६८४	.	.	.	६८४	.	६८४	.	.	.
१५	मकतब/मदरसे	.	.	.	६०	.	६०	६०	.	६०	१७	.	१७
१६	संस्कृत पाठशाला	.	.	.	८	.	८	.	.	८	.	.	.
१७	अन्धे व विकलांग वि०	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
१८	[illegible]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
१९	बी०आर०सी०	६	.	६	.	.	.	६	.	६	.	.	.
२०	एन०पी०आर०सी०	७७	.	७७	.	.	.	७७	.	७७	.	.	.

शिक्षकों की उपलब्धता :- (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिशदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में षिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं षिक्षा मित्रों की संख्या निम्नांकित है -

सारणी -२.५

	अध्यापक			शिक्षा मित्र		
	सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राथमिक विद्यालय	२४०२	१२०४	११६८	९९५	६१४	३८१
उच्च प्रा० विद्यालय	६३५	४२२	२११	.	.	.

स्रोतः- विभागीय आकड़े

सारणी-२.६

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	१ किमी० से कम दूरी पर विद्यालय	१ किमी० से अधिक किन्तु १.५ कि०मी० की दूरी पर विद्यालय	१.५ किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय	प्रा०वि० की आवष्यकता
ऐसे बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी ३०० से अधिक है।	५४६	५८०	०	०
ऐसे बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी ३०० से कम है	३२८	२१७	६५	०
योग :-	८७५	८०६	६५	०

स्रोत -विभागीय आकड़े

सारणी- २.७

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता

	३ किमी० से कम दूरी पर विद्यालय	३ किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय	उच्च प्रा० विद्यालयों की आवश्यकता/ए०आई०ई०
ऐसे बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी ८०० से अधिक है।	२०५	०	०
ऐसे बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी ८०० से कम है।	१४९१	६०	-
योग :-	१६९६	६०	०

सारणी- २.८

प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधायें

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या -	०६
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या -	३००
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या -	३२४
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या -	६८
पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या -	-
लघु मरम्मत योग-	२५०
वृहद मरम्मत योग-	२२२
शौचालय युक्त	३८२
शौचालय विहीन	३१६
हैण्ड पम्प युक्त	६५०
हैण्ड पम्प विहीन	५१
चहारदीवारी युक्त	०१
चहारदीवारी विहीन	७००

सारणी -२.६

उच्च प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधायें

एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	०१
दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	०१
तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	२८
चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	२७
चार से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	७३
लघु मरम्मत योग्य	१८
वृहद मरम्मत योग्य	१२
शौचालय विहीन	२६
हैण्ड पम्प विहीन	१४
चहारदीवारी विहीन	६३

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (संत कबीर नगर)

जनपद में कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० इकाई सक्रिय रूप से वर्ष १९९७-९८ से कार्य कर रहा है। वर्ष ९७-९८ से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया है तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से तैयार की जा रही है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष २००२-०३ में विद्यालयों में नामांकन की स्थिति विकास खण्डवार निम्नवत है :-

कक्षा	खलीलाबाद	बघौली	नाथनगर	हैंसर	मेंहदावल	सेमरियावां	बेलहर	योग
कक्षा-१	६६६३	७५३६	७२३२	८५१०	७१८६	७१११	२२८६	४५१२४
कक्षा-२	४८४८	५०३३	३०४८	६३७४	४६४५	४५०५	१५२३	३०७७६
कक्षा-३	४३७७	४२२४	३५५८	४७६६	३५१४	३५८०	१३१५	२५४०४
कक्षा-४	३४६६	३२७१	२१६५	३६२३	२५२३	२८२८	६६४	१६८००
कक्षा-५	३३४२	३७८८	२६८५	३८६१	२३१४	२३५०	८१३	१८२५३
योग	२२६३६	२२८५२	१८७१८	२७२६४	२०१८२	२०३७४	६६३१	१३६३५७

उपर्युक्त संख्या में ११३४१९ छात्र परिषदीय विद्यालय के तथा २५९३८ छात्र मान्यता प्राप्त विद्यालय के शामिल है।

वर्ष १९९७ में डी०पी०ई०पी० लागू होने के पश्चात प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुए परिवर्तन का विवरण निम्नवत है :-

	१९९७	२००२.०३
प्राथमिक विद्यालय परिषदीय	५७३	७०१
प्राथमिक अध्यापक परिषदीय	१५३१	१३२३
छात्र अध्यापक अनुपात	१:७१	१:६२

छः वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में १२ प्रतिशत की गिरावट आयी है। औसत रूप से विद्यालयों की संख्या में ७ प्रतिशत की वृद्धि तथा शिक्षकों की संख्या में ४ प्रतिशत की कमी हुई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शासन द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

रिपीटीशन दर व ५ कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षो की संख्या –

वर्ष	रिपीटीशन दर	५ कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्ष की सं०
१९९८.१९९९	१.६	७.५६
१९९९.२०००	४.३	७.६५
२०००.२००१	५.६	७.१२
२००१.२००२	५.१	७.०५
२००२.२००३	५.१	७.०५

रिपीटीशन दर अभी भी ५.१ प्रतिशत है तथा प्राथमिक स्तर की ५ कक्षा पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब भी ७.०५ वर्ष लग रहे हैं।

अध्यापक-छात्र अनुपात वर्ष (२००२-०३) १:६२

एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष २००२-०३ १.००

छात्र कक्षा-कक्षा अनुपात (२००२-०३) १:६५

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुए है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र भी तैनात किये गये है। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालय के प्रतिशत में कमी आयी है तथा अब केवल १ प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापकीय है। शिक्षा-मित्रों की नियुक्ति के फलस्वरूप छात्र-अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ है। किन्तु नामांकन में वृद्धि के कारण अब भी छात्र-अध्यापक अनुपात १:६२ है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा-मित्र तैनात कर निर्धारित

मानक १:४० पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात में भी सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी यह १:६५ है। इसे निर्धारित मानक १:४० पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं के निर्माण की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय (६-८)	योग	अनुपात
ग्रामीण	८२२	१७७	५१	२२८	३.६
नगरीय	.	.	.	.	.
योग:-	८२२	१७७	५१	२२८	३.६

उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स जनपद- संत कबीर नगर

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद संत कबीर नगर

वर्ष	कक्षा ६	कक्षा ७	कक्षा ८	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत
१९९८.९९	३६८१	३२३५	३१५६	१००७२	.
१९९९.००	४४५५	३६१८	३३५४	११७२८	१४.१
२०००.०१	४६०७	४४२३	३८८६	१३२१६	१२.७
२००१.०२	६६३६	६४६०	५२१०	१८६३६	४१.०
२००२.०३	७६९७	६४१०	५७२३	१९८३०	६.४

स्रोत विभागीय आंकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है।

१९९७ से २००२ तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन संत कबीर नगर

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
१९९७-९८	६०००	३७२१	९७२१	६१.७	३८.३	१००
१९९८-९९	६१४५	३९२७	१००७२	६१.०	३९.०	१००
१९९९-२०००	७०९६	४६३२	११७२८	६०.५	३९.५	१००
२०००-०१	७८७६	५३४३	१३२१६	५९.६	४०.४	१००
२००१-०२	११७५०	६८८६	१८६३६	६३.०	३७.०	१००
२००२-०३	११९७०	७८६०	१९८३०	६०.४	३९.६	१००

जनपद संत कबीर नगर वर्ष १९९७ मे डी०पी०ई०पी० परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना चालू होने से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में वृद्धि हुयी है। साथ ही उच्च

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में भी १९९७ से २००२ के बीच काफी वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा ५ से कक्षा ६

वर्श	कक्षा ५	कक्षा ६	ट्रांजिसन दर
१९९८.९९	११२१७	३६८१	३२.८
१९९९.००	१३६२८	४४५५	३२.७
२०००.०१	१४७४१	४६०७	३३.३
२००१.०२	१४४६५	६९३९	४७.९
२००२.०३	१४३७७	७६९७	५३.५

स्रोत विभागीय आंकड़े

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अति आवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते है। अतः जनपद संत कबीर नगर का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा ५ से कक्षा ६ में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर के लगभग ५३.५ प्रतिशत बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित होते है।

अध्याय –३

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

उद्देश्य

- २००३ तक सभी बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय, शिक्षा गांरटी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय, वापस विद्यालय चलो कैम्पों आदि में नामांकन।
- २००७ तक कक्षा ५ तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- २०१० तक कक्षा ८ तक की शिक्षा सभी पूरी करें।
- संतोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु २००७ तक सभी वर्ग के बालक/बालिकाओं को कक्षा ५ तक की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शत् प्रतिशत धारण २०१० तक।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य

- २००३ तक ६.१४ वय वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/वैकल्पिक शाला/वापस स्कूल चलो शिविर में दाखिल हों।
- २००७ तक सभी बच्चे ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।
- २०१० तक सभी बच्चे ८ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष बल।
- २०१० तक बीच में शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना।

जनपद स्तर पर निर्धारित लक्ष्य

- ६.१४ वय वर्ग के सभी बच्चों को २०१० तक (आऊटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
- ई०सी०सी०ई० के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार ०.१४ करना।
- आई०सी०डी०एस० के प्रयास को समर्थन देना तथा वर्तमान में संचालित ६१ ई०सी०सी०ई० केन्द्रों को आगे भी चलाते रहना।
- मुख्य रूप से सभी पढ़ने वाले बच्चो को उनके पहुंच के अन्तर्गत शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना तथा सभी बच्चों के दाखिला के साथ ड्राप आउट का दर शून्य पर लाना।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण।

एस०एस०ए० के अन्तर्गत वर्ष २००३. ०४ हेतु जनपद संत कबीर नगर का लक्ष्य

प्राथमिक स्तर

क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	२००३.०४ के लक्ष्य
एन०ई०आर०	६७	७६
जी०ई०आर०	७५	६२
[illegible]	१५.८	१४
ठहराव	८४.२	८६
जी०ए०आर०	८६	१००
जेन्डर गैप	५.२	०
सोशल गैप	३.६	३.०
संप्राप्ति भाषा	४४.८	६०
संप्राप्ति गणित	३७.६६	४५
छात्र/शिक्षक अनुपात	१:६२	१.६०
छात्र/कक्षा-कक्ष अनुपात	१:६५	१.६०

उच्च प्राथमिक स्तर

क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	२००३.०४ के लक्ष्य
एन०ई०आर०	६५	७५
जी०ई०आर०	७०	७८
[illegible]	१४	१०
ठहराव	८६	६०
जी०ए०आर०	८०	८४
जेण्डर गैप	२.५	२
सोशल गैप	१७	१२
ट्रांजीशन रेट	५३.५	६२

अध्याय–४

नियोजन की प्रक्रिया

वार्षिक कार्ययोजना के नियोजन की प्रक्रिया अन्य योजनाओं के नियोजन प्रक्रिया से भिन्न है। इसके तहत समुदाय के विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर पूरी तरह से बल दिया गया है। इस नियोजन की प्रक्रिया में ग्राम/बस्ती विशेष की आवश्यकताओं पर वहां के समुदाय से समस्याओं पर विचार-विमर्श कर स्थानीय कठिनाईयों एवं आवश्यकताओं के आधार पर समस्याओं के निराकरण हेतु रणनीति बनायी गयी है। समस्त बस्तियों की योजनाओं को विकास खण्ड तथा अन्त में जिला स्तर पर समेकित करके जिला शैक्षिक योजना बनायी गयी है। जिला स्तर पर बैठक करके योजना बनाने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों के मध्य कार्यों का बटवारा किया गया। ऐसे स्थानों पर जहां शिक्षा की प्रगति कम है और ऐसे समुदायों को जो शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाये है, के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा कराया गया जिससे उनकी समस्याएं उभरकर आ सकीं।

जनपद संत कबीर नगर में संचालित सर्व शिक्षा अभियान की योजना जनपद की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं व सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये समाज के विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श के उपरान्त ही निर्धारित की गयी है। जनपद की विशिष्ट समस्याओं/वरीयताओं को दृष्टिगत रखते हुये कार्यक्रम व वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण स्थानीय जनप्रतिनिधियों विशेषकर आधारभूत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों व समितियों के माध्यम से किया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये परिवार सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लानिंग) के आधार पर निकलकर आयी समस्याओं का पुनर्विश्लेषण करते हुये सर्व शिक्षा अभियान योजना का निर्माण किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय समुदाय के लोगों से विचार विमर्श के उपरान्त आयी समस्याओं को वरीयता देते हुये योजना का निर्माण किया गया है।

योजना बनाने में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठकों तथा ब्लाक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारियों की बैठकों में प्रकाश में आये तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षको से विचार विमर्श एवं गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, आदि महत्वपूर्ण अवसरो पर गांव के लोगों से विचार विमर्श के उपरान्त आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर योजना निर्माण किया गया है।

बैठक/विचार-विमर्श के बिन्दु और उनका संक्षिप्त विवरण

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/ विचार-विमर्श के बिन्दु/ सुझाव
२३.०१.२००३	जिला परियोजना कार्यालय, संत कबीर नगर	ज्येष्ठ बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक।	१ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-वार अध्यापकों की व्यवस्था जिससे गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा सके। २ अध्यापकों की नियमित उपस्थिति तथा पठन-पाठन में रूचि जागृत करना। ३ विद्यालयों के निर्माण हेतु असेवित क्षेत्र का चिन्हांकन। ४ विकलांग छात्रों के शिक्षा पर पर विशेष ध्यान दिया जाना। ५ अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों के शिक्षा पर बल।
२८.०१.२००३	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण	सभी ब्लाक समन्वयक	१ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जहां बरसात में दो तीन महीने सम्पर्क टूट

	संस्थान, बस्ती		जाता है अर्थात् ड्राप आउट की अधिकता वाले क्षेत्र मे विशेष प्रयास अपेक्षित। २ उसी गांव में शिक्षण की व्यवस्था करवायी जाय। दलित मलिन क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/ विचार-विमर्श के बिन्दु/सुझाव
			३ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सहभागिता एवं नये अभियान में सक्रिय करने हेतु विशेष प्रशिक्षण। ४ बालिकाओं को शिक्षा के लिये दूर जाने में कठिनाई।
०३.०२.२००३ से ०५.०२.२००३	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बस्ती	सभी ब्लाक समन्वयक एवं ७ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी	१ विद्यालयवार अध्यापकों की आवश्यकता का निर्धारण और उसी के सापेक्ष पदस्थापन। २ गांव में शिक्षा में रूचि लेने वाले शिक्षाविदों को ग्राम शिक्षा समिति का अनुशासित सदस्य बनाना। ३ शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता न होने पर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) को बहुमत के आधार पर बदलने की व्यवस्था।
०५.०२.२००३ से १०.०२.२००३	समस्त विकास खण्ड मुख्यालय	ब्लाक समन्वयक-न्याय पंचायत समन्वयक एवं प्रधानाध्यापक	१ विद्यालय के अभाव में बच्चों को स्कूल भेजना सम्भव नहीं हो पाता है।

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/ विचार-विमर्श के बिन्दु/ सुझाव
			२ अभिभावक के साथ कृषि/घरेलू कार्य में हाथ बँटाने के कारण दो-तीन सप्ताह विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर नाम काट दिया जाना।
			३ विद्यालय में चहारदीवारी की व्यवस्था होने पर विद्यालय वातावरण स्वच्छ एवं आकर्षक होगा। ४ माह में ८० प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर ही उस माह की छात्रवृत्ति प्रदान करना।

विभिन्न स्थलों पर प्रत्येक स्तर पर लगभग ७०० लोगों के साथ किए गये विचार विमर्श एवं उनसे उभरकर सभी समस्याओं एवं उसके समाधान के ऊपर जनपद स्तर पर विचार विमर्श किया गया एवं विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय विशेषताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देते हुए स्वंय सेवी संगठनों एवं विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु रणनीति का निर्धारण किया गया।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया अपनायी गयी है, जिसमें ग्राम एवं बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजना बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है।

अध्याय-५

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन एवं इसमें प्रतिभागियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के दृष्टिकोण से जो मूल समस्यायें उभर कर आयी उनमें गरीब बालिकाओं के शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी, शिक्षा के महत्व को न समझ पाना आदि सामान्य समस्यायें रहीं, लेकिन क्षेत्र विशेष की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन एवं भौगोलिक स्थिति आदि के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख समस्यायें जनपद के विशिष्ट परिपेक्ष्य में उभर कर सामने आयी हैं।

समस्या एवं उनके समाधान की रणनीति इस प्रकार हैं

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
१	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो-तीन महीनें आवागमन बाधित रहने से बच्चों का विद्यालय से दूर रहना।	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बरसात के महीनों में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये ग्राम शिक्षा समितियों का पर्याप्त सहयोग लिया जायेगा। बच्चों की पढ़ाई का क्रम टूटने न पाये इसके लिये शिविर लगाकर अध्ययन जारी रखा जायेगा। इसके लिये पूर्व में ही ऐसे सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया जायेगा जहाँ जल-भराव नहीं होता रहा है और जहाँ बच्चों की पहुँच आसानी से हो सकें।
२	घुमन्तू एवं श्रमजीवी बच्चों का स्कूल न जाना ।	श्रमजीवी बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जायेगा। ऐसे बच्चें जो विद्यालय में आ सकते हैं, उनको विद्यालय में प्रवेश कराया जायेगा। जो श्रमजीवी बच्चे जागरूकता के बाद भी परिस्थितिवश विद्यालय आने में असमर्थ है, उनके लिए शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों के माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति रूचि एवं जागरूकता पैदा कर उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जायेगा।

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
३	सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है।	सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं, युवक मंगल दल, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्रियों ग्राम शिक्षा समितियों आदि का सहयोग लिया जायेगा।
४	पत्तल/कागज के लिफाफा बनाने वाले पाकेट के बच्चों का नामांकन नहीं होना ।	इस पाकेट्स के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय के माध्यम से की जायेगी। कार्यानुभव को इस क्षेत्र विशेष में वरीयता प्रदान की जायेगी एवं इनके अभिभावकों को इसकी जानकारी देकर बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा।
५	अध्यापकों की कमी	अध्यापकों की कमी के कारण जो विद्यालय एकल है उनमें शिक्षा-मित्रों की व्यवस्था करके उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। साथ ही अध्यापकों का बहुकक्षीय शिक्षण की विधा में प्रशिक्षण कराया जायेगा एवं इस विधा से शिक्षण कार्य करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
६	गुणवत्तापरक शिक्षा की कमी	गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के लिये अध्यापकों का विषय प्रशिक्षण, बहुकक्षीय शिक्षण-प्रशिक्षण कराया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं कक्षाओं में इसका प्रयोग कराया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक शिक्षक को रू० ५०० की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालयों में खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घण्टा निर्धारित किया जाएगा।

क्रमांक	समस्यायें	रणनीति
७	अध्यापक- अभिभावक में सामंजस्य का अभाव	अध्यापकों का अभिभावकों के साथ संवादहीनता न रहे, इसके लिए हर दो मास पर अभिभावक सम्मेलन कराया जाएगा। इसमें उनके विचारों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी।
८	अभिभावकों में जागरूकता की कमी	अभिभावकों को जागरूक बनाने में ग्राम शिक्षा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिति द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव को अभिभावक-शिक्षक बैठक में सूचनार्थ रखा जायेगा। साथ ही साथ अध्यापक, संकुल प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक द्वारा विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत अभिभावकों से सम्पर्क कर उनमें बेसिक षिक्षा के प्रति सामान्य सचेतता पैदा की जायेगी।
६	जनसहभागिता की कमी	ग्राम, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिले स्तर पर गोष्ठी का आयोजन कर प्रत्येक बालक/बालिका का नामांकन सुनिश्चित करने में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी।

उपर्युक्त समस्यायें जनपद की अपनी विशिष्ट समस्यायें हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य सामान्य समस्यायें यथा कई बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना, विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव, अध्यापकों की गरिमा में गिरावट, शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी का होना आदि हैं। इसके लिये भी उपयुक्त रणनीतियों, प्रभावी निरीक्षण, समुदाय के सहयोग आदि के माध्यम से निवारण किया जायेगा। क्षेत्र विषय

से संबंधित अन्य समस्यायें भी भविष्य में हो सकती है जिसके लिए रणनीति का निर्धारण सामुदायिक सहयोग से किया जाएगा।

अध्याय-६

शिक्षा की पहुँच का विस्तार- १

नवीन औपचारिक विद्यालय :-

सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार कर बच्चों की पहुँच में वृद्धि कराया जाना आवश्यक है। साथ ही विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न एवं आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में एक शौचालय, पेयजल एवं शिक्षकों की व्यवस्था तथा काष्टोपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस संदर्भ में आवश्यकताओं की स्थिति निम्नवत है।

१. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना ऐसे असेवित बस्तियों में प्रस्तावित हैं जिनकी आबादी ३०० अथवा इससे अधिक है विद्यालय की उपलब्धता १.५ किमी० या इससे अधिक दूरी पर है, जनपद में कुल प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का विवरण वर्षवार निम्नलिखित है-

क्रमांक	वर्ष	स्थापित किए जाने वाले नवीन प्रा०वि० की संख्या
१.	२००२.०३	.
२.	२००३.०४	८१
३.	२००४.०५	.
	योग-	८१

नोटः- वर्ष २००३.०४ में ८१ नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त है।

विद्यालयों का निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाएगा। जिसका जिला शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण सामुदायिक सहयोग से कराया जाएगा।

शिक्षकों की व्यवस्था :-.

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के लिए दो पदों में से एक पद शिक्षा मित्र का होगा, अध्यापकों की आवश्यकता का विवरण वर्षवार निम्नलिखित सारिणी में है-

क्रमांक	वर्ष	प्रधानाध्यापक	शिक्षा मित्र
१.	२००२.०३	.	.
२.	२००३.०४	८१	८१
३.	२००४.०५	.	.
	योग-	८१	८१

काष्टोपकरण उपस्कर :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय के प्रथम बार काष्टोपकरण उपस्कर हेतु रू० १०,०००.०० अनावर्तक अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष	नवीन प्रा०वि० की संख्या	दर	धनराशि
२००२.०३	.	.	.
२००३.०४	८१	१०,०००.००	८,१०,०००.००
२००४.०५	.		
योग-	८१	१०,०००.००	८,१०,०००.००

२.नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :-

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणना:- जिसकी स्वीकृति वर्ष २००२.०३ में प्राप्त हो चुकी है।

कुल प्राथमिक विद्यालय की सं० नगर क्षेत्र सहित		सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय	योग	२:१ के मानक के अनुसार आवश्यक पूर्व मा० विद्यालय	पूर्व से उपलब्ध परिषदीय/ शासकीय पूर्व मा०विद्यालय	मान्यता प्राप्त तथा मा०वि० से सम्बद्ध उच्च० प्रा०वि०	२:१ के मानक पर वास्तविक विद्यालय	जनपद की आवश्यकता अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय
८२२		८१	९०३	४५२	१३०	९८	२२४	७६
प० ७०१	म० १२१							

नवीन भवन निर्माण में मितव्ययता

सर्व शिक्षा अभियान में प्रति दो प्रा० विद्यालय स्तर पर एक उ०प्र० वि० खोलने का प्राविधान हैं । ऐसी दशा में नया भूमि न लेकर प्रा० वि० परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिससे हैण्डपम्प शौचालय चाहरदीवारी बागवानी इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता हैं। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु यह धनराशि क्रमशः २५६ एवं ४५१ हजार रूपये बजट प्राविधानित है।

नवीन भवन एवं शैक्षिक सुविधाओं के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण

नवीन भवन के निर्माण की कहां-कहां आवश्यकता हैं इसके निर्धारण हेतु सेवित बस्यिों का सर्वे करा कर रिपोर्ट संकलित कर ली जायेगी जिससे अगामी वार्षिक योजना में विद्यालय भवन का निर्धारण किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवेक्षण

योजना द्वारा निर्धारित मानकों की गुणवत्ता को जांचने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु विकास खण्ड पर एक अवर अभियन्ता तथा जनपद स्तर पर एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जायेगी।

भवन की व्यवस्था :- (स्वीकृति प्राप्त)

क्रमांक	वर्ष	स्थापित किए जाने वाले उच्च प्रा०वि० की संख्या
१	२००२.०३	२०
२	२००३.०४	७६
३	२००४.०५	.
४	२००५.०६	.
	योग :-	९६

नवीन उच्च प्रा०विद्यालयों (स्वीकृति) हेतु शिक्षकों की व्यवस्था :-

वर्ष	प्र०अ०	स०अ०	योग
२००२.०३	२०	४०	६०
२००३.०४	७६	१५२	२२८
२००४.०५	०	०	०
२००५.०६	०	०	०
योग :-	९६	१९२	२८८

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त **नहीं** हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं **बजट** में किया **जायेगा।**

काष्ठोपकरण उपस्कर :-

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रथम बार काष्ठोपकरण उपस्कर हेतु रू० ५०,०००.०० अनावर्तक अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	दर	धनराशि
२००२.०३	२०	५०,०००.००	१०,००,०००.००
२००३.०४	७६	५०,०००.००	३८,००,०००.००
२००४.०५	.	.	.
२००५.०६	.	.	.
योग-	९६	५०,०००.००	४८,००,०००.००

नवीन प्रा० विद्यालय साज सज्जा:

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, संगीत उपकरण ;ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सीद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री ;गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदिद्ध उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलो में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उ०प्रा० विद्यालय साज सज्जा-

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा-मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, संगीत सामग्री ;ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदिद्ध क्रीड़ा सामग्री ;फुटवाल, वालीवाल, स्कीपिंग रो हवा भरने का पम्प ,क्लास रूम टीचिंग मेटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोव, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगीद्ध

अध्याय-७

शिक्षा की पहुँच का विस्तार- २
(ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)

भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वजनीकरण को लक्ष्य बनाकर अंगीकृत संकल्प के अनुसार ६ से १४ वय वर्ग के हर बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस दिशा में विगत ५० वर्षों में किये गये व्यापक प्रयासों के बावजूद अभी भी हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इस वास्तविकता को दृष्टिगत रख "सर्व शिक्षा अभियान" में ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जो किन्हीं कारणों से अभी विद्यालय से बाहर हैं।

७.१ तथ्यात्मक पृष्ठभूमि :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्ययोजना में- विद्यालय विहीन बस्तियों में रहने वाले बच्चों, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई बीच मे अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों, (ड्राप-आउटस) पैतृक व्यवसाय मे सहयोग देने वाले कामकाजी बच्चों, अर्थोपार्जन से सीधे जुड़े बाल-श्रमिकों एवं घरेलू कामों/शिशुओं की देखभाल के कारण स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं हेतु प्राथमिक विद्यालयों के विकल्प के रुप में अनौपचारिक शिक्षा योजना वर्ष १९८०-८१ से संचालित की गयी।

अपने दो दशक के अन्त तक की कार्य- अवधि में एक ओर जहाँ अनौपचारिक शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से अपवंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की कम खर्चीली एवं लचीली व्यवस्था होने के कारण अपनी पहचान बनाई वहीं उसके योजनागत प्रबन्धन एवं खामियों ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। फलतः प्रचलित कार्यक्रम को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

सर्व शिक्षा अभियान मे इस समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना को पुनरीक्षित कर इसे शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा योजना के नाम

से संचलित किये जाने की पृष्ठभूम में निम्नलिखित अवरोधक तत्व प्रमुख हैं जो योजना द्वारा इंगित किये गये हैं-

अनौपचारिक शिक्षा योजना मे स्थानीय समुदाय- विशेषकर ग्राम शिक्षा समिति की भागीदारी बहुत कम होना।

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा मे आपसी समन्वय न होना।
2. लोगों की दृष्टि मे अनौपचारिक शिक्षा को दूसरे दर्जे की शिक्षा समझा जाना।
3. प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण न होना।
4. विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की दृष्टि से लचीलेपन का अभाव होना।
5. महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारी कम होना।
6. स्वंय सेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय की स्थिति दयनीय होना।
7. स्कूल से बाहर के बच्चों का १० प्रतिशत ही योजना से आच्छादित होना।
8. सभी स्तरों पर वित्तीय स्वीकृतियों में अत्यधिक विलम्ब होना।
9. मुख्य धारा में प्रवेश का प्रतिशत कम होना।

७.२ कार्ययोजना का निर्धारण :-

सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना वनाते समय जनपद संत कबीर नगर में सिद्धान्त दो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

(क) स्कूल से बाहर के हर बच्चे को जिसकी आयु एवं परिस्थतियां विद्यालय जाने की प्रत्येक दशा में निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में दाखिल कराना।

(ख) प्राथमिक शिक्षा से वंचित हर ऐसे बच्चे को जिसका किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्कूल जा पाना सम्भव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराना। इन दोनों सिद्धान्तों पर अमल करते समय कहने की आवश्यकता नहीं कि उन अवरोधकों से भी बचने का पूरा प्रयास किया जाएगा जिनका उल्लेख ७.१ में किया गया है।

७.३ रणनीति :-

जनपद संत कबीर नगर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर परिवार सर्वेक्षण समस्त ग्रामों का माह मई-जून २००३ में परिषदीय अध्यापकों द्वारा जिला समन्वयकों की देख-रेख में कराये गये जिसमें विभिन्न कारणों से विद्यालयों में नहीं जाने वाले ५-१४ वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या ४२०८० पायी गयी।

जनपद संत कबीर नगर में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल न जाने वाले कारण सहित आँकडो का विवरण निम्नाकित तालिका में दर्शाया गया हैं।

कारण	५+से६+		७से१०+		११से१४		योग		कुल
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
अपने घर के काम में लगे रहना	३००	२४०	२४०	२३४	२४१२	१६२८	२९५२	२१०२	[illegible]
मजदूरी में लगे रहना	१६२	२८	४२०	६००	२४००	१२००	३०१२	१८२८	[illegible]
भाई-बहनों की देख-भाल	०	४०	६१२	१२४०	०	०	६१२	१५८०	[illegible]
विद्यालय दूर होने का कारण	०	०	०	०	०	०	०	०	०
अन्य	११७४८	१४५७६	१६८०	६७४	४८	६६८	१३४७६	१६२१८	[illegible]
महायोग	१२२४०	१४८८४	३२५२	३३४८	४८६०	३४६६	२०३५२	२१७२८	[illegible]

(विभागीय आंकड़ा जून, २००३)

पुनः माह जुलाई, २००३ में प्रत्येक विकास खण्ड में परिषदीय विद्यालयों में सम्बन्धित बच्चों का एक अभियान चलाकर नामांकन कराया गया जिसके उपरान्त प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त विकास खण्ड में कुल ४७७७ बच्चे स्कूल नहीं जाते पाये गये इस सम्बन्ध में प्रत्येक विकास खण्ड स्कूल न जाने बच्चे का नाम भी सूचीबद्ध किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों की ब्लाकवार सख्यांत्मक विवरण जुलाई २००३ में निम्नवत् है-

स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्थिति (६ से १४ वर्ष की स्थिति) :-

क्रमांक	ब्लाक का नाम	२००१	जुलाई २००३
१.	खलीलाबाद	४५२१	५५३
२.	बघौली	६०२३	६६०
३.	सेमरियावा	७००८	७६१
४.	ळेंसर	६३४४	१०५७
५.	नाथनगर	६४२४	७२६
६.	मेंहदावल	४६७२	५२७
७.	बेलहर	४०८८	४६३
	योग	४२०८०	४७७७

(विभागीय आंकड़ा २००३)

अगस्त २००३ तक स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण जून २००३ से प्राप्त विद्यालय न जाने वाले ४२०८० बच्चों में से कुल ३७३०३ का नामांकन अगस्त २००३ तक करा लिया गया है, जो तालिका से स्पष्ट है।

स्कूल चलो अभियान प्रगति २००३

जनपद - संत कबीर नगर अगस्त २००३

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे २००३							
	५ से ६		७से १०		११से १४		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
४२०८०	१२२४०	१४८८४	३२५२	३३४८	४८६०	३४६६	४२०८०

हाउस होल्ड सर्वे चिन्हित बच्चे का ३१.८.०३ तक नामांकन विवरण							
	५से ६		७से १०		११से १४		
बच्चों कि कुल संख्या	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
३७३०३	११६४२	१३६३०	२५१२	२६११	३६८०	२६२८	३७३०३

(विभागीय आंकड़े अगस्त, २००३)

शेष ४७७७ बच्चों के नामांकन हेतु ब्रिज कोर्स, समरकैम्प, विद्यालय वापस चलो शिविर तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण इत्यादि प्रस्तावित है, जिसमें इन बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रमों से एक ओर जहां सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य (शत-प्रतिशत नामांकन) की पूर्ति की जा रही है वहीं

दूसरी ओर इन प्रस्तावित कार्यक्रमों से ड्राप आउट की समस्या का समाधान भी करते हुये बच्चों का पुनर्नामांकन तथा इनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना एवं सम्बन्धित कक्षा में नामांकन कराते हुए शत-प्रतिशत ठहराव का भी प्रयास किया जाना है।

शिक्षा गारण्टी योजना

शिक्षा गारण्टी योजना में संचालित केन्द्रों का लाभार्थी समूह ६-८ वय वर्ग का है। इन्हें कक्षा १ एवं २ की शिक्षा दी जाएगी।

ऐसे केन्द्रों की संकल्पना उन बस्तियों को ध्यान में रखकर की गयी है जहां मानक के अनुसार (३०० से कम आबादी होने के कारण) प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। इसी के साथ निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय १ किमी० से दूर होने के कारण छोटी आयु के बच्चे खासकर बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं। अपेक्षा यही की गयी है कि कक्षा १ व २ केन्द्र पर पढ़ने के बाद थोड़े बड़े हो जाने पर बच्चे १.५ किमी० परिधि में स्थित प्राथमिक विद्यालय की तीसरी कक्षा में प्रवेश करा दिया जाएगा।

जनपद संत कबीर नगर में ८ विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के दौरान ६-६ वय वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या ३२५२ बालक तथा ३३४८ बालिका अर्थात् कुल ६६०० पायी गयी है। इनके लिए आगामी तीन वर्षो में जो केन्द्र संचालित किये जाने की योजना है। वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित	नवीन केन्द्र	योग
१	२००३ ०४	१४२	.	१४२
२	२००४ ०५	१४२	.	१४२
३	२००५.०६	१४२	.	१४२

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र /ए०आई०ई० प्राथमिक स्तर :-

पूर्व संचालित योजना, वैकल्पिक शिक्षा में जिन मुख्य बिन्दुओं में पुनरीक्षित हुयी है वे हैं-

- केन्द्रों का संचालन समय २ के स्थान पर ४ घण्टे।
- मानदेय रूपये १००० प्रतिमाह।
- ६.११ (प्रा० स्तर) के स्थान पर ११.१४ वय वर्ग हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों का संचालन।

- १० दिन के स्थान पर केन्द्र संचालन पूर्व ३० दिन का पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण।
- प्रथम बार नगर क्षेत्र में भी केन्द्रों की स्थापना।

जिसके सापेक्ष जनपद में २००२ से २००५.०६ के दौरान चरणबद्ध रूप में ३० प्राथमिक स्तर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित	नवीन केन्द्र	योग
१.	२००३.०४	.	.	.
२.	२००४.०५	.	१०	१०
३.	२००५.०६	१०	२०	३०

७.३ नवाचार शिक्षा कार्यक्रम :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व में संचालित कार्यक्रम में सुधार कर इसमें नवाचार को भी प्रमुखता दी गयी है। नवाचार का अर्थ है लीक से हटकर कुछ प्रयोगात्मक कार्य करना।

जनपद संत कबीर नगर में नवाचार शिक्षा कार्यक्रम निम्न वर्गों को प्रमुखता प्रदान करते हुये संचालित किया जायगा।

७:३.१ बालिका शिक्षा :-

वर्ष १९९१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत तुलना में अत्यंत दयनीय है। जनपद के ३ कम साक्षरता वाले विकास क्षेत्रों को प्रथम चरण में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रोत्साहित करने हेतु चुना गया है। ये विकास क्षेत्र निम्नवत् हैं-

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम	महिला साक्षरता प्रतिशत	शिक्षा से वंचित बालिकायें	
			६.८ वय वर्ग	६.१४ वय वर्ग
१	मेंहदावल	११.२०	१८०४	७९५
२	बेलहर	१२.००	१५७३	६७६
३	सेमरियावां	१३.८०	३६२६	१५११

कम महिला साक्षरता वाले इन विकास क्षेत्रों मे सर्वेक्षण के दौरान कुछ तो सामान्य कारण सामने आये जिनकी वजह से प्रायः महिला साक्षरता दर कम पायी जाती है। जैसे-

- लिंग भेद ग्रसित मानसिकता के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओ को कम महत्व देना।
- नवजात बच्चों की देख-भाल एवं घर के काम-काज में सक्रिय एवं प्रमुख भागीदारी।
- सह शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों का तैयार न होना।
- चिट्ठी-पत्री पढ़ लिख लेने की दक्षता को ही बालिकाओं के लिए पढ़ी लिखी होने की दृष्टि से पर्याप्त मानना आदि।
- शहर से नजदीक के विकास खण्डों में ईंट भट्ठों का बाहुल्य है, जिसमे महिला श्रमिक की मांग अधिक रहती है।
- मेंहदावल,हैंसर/पौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां बाढ़ के समय एवं बाद में भी महीनों तक सम्पर्क मार्ग पर पानी रहने से अनेक ग्रामों का सम्पर्क भंग रहता है।

उक्त सभी कारणों के चलते बालिकाओं की शिक्षा में निम्न समस्यायें लक्षित होती हैं-

1. अभिभावकों में जागरूकता एवं उत्साह की कमी के कारण न्यून नामांकन प्रतिशत।
2. प्राथमिक स्तर पर४५.५ प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ४०.६० प्रतिशत ड्राप आउट होना है।
3. प्रौढ़ महिला निरक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, जो आगे चलकर बालिका शिक्षा को प्रभावी करती है।
4. शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में बालिकाओं को बालकों से कम महत्व।

इसके अतिरिक्त बालिकाओं में नामांकन, ठहराव एवं साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण यह भी है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुये लगभग ६० प्रतिशत शिक्षिकायें नगर क्षेत्र के निकटवर्ती सीमा पर स्थित विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में रोड साइड के स्कूलों में तैनाती करा लेती हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित अधिकांश विद्यालयों में महिला शिक्षक नहीं हैं। इस कारण भी बालिकाओं का नामांकन कम होता है। जनपद संत कबीर नगर में ५.१० वय वर्ग की लगभग ३३४८ एवं ११. १४ वय वर्ग की लगभग ३४६६ बालिकायें सम्प्रति स्कूल नहीं जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रचलित ड्रापआउट दर ४५ प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान में नामांकित ७८८६०

बनाये रखनी होगी, एक निश्चित अन्तर पर बार-बार शिविरों का आयोजन करना होगा तथा सम्प्राप्तियों की समीक्षा करनी होगी।

➢ साक्षरता मेलों का आयोजन एवं फिल्म प्रदर्शन :-

ग्रामीण परिवेश में आज भी पारम्परिक रीति-रिवाजों का जीवन की गतिविधियों पर गहरा असर है। प्रायः देखा जाता है कि भइया दूज, गंगा दशहरा, शिवरात्रि आदि पर्वों पर महिलाओं/बालिकाओं के किसी निश्चित स्थानों पर एकत्र होने की परम्परा होती है। ऐसे स्थलों को चिन्हित कर वहां मेले प्रर्दशनी, कठपुतली प्रर्दशन आदि के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा।

टी.वी. के प्रचार एवं फिल्मों के प्रति ग्रामीण समुदाय के आकर्षण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से रात्रिकालीन सचल फिल्म प्रर्दशन यूनिट के द्वारा भी न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व सूचना देकर सी.आर.सी. पर "मीना" एवं अन्य प्रेरक फिल्मों का प्रदर्शन कर वातावरण सृजन किया जाएगा।

लक्ष्य :-

१ प्रथम चरण में जनपद के सभी ८ विकास खण्डों में ग्रीष्मकालीन जागरूकता एवं वातावरण सृजन अभियान चलाकर जुलाई, २००१ के सत्र में बालिका नामांकन २०.३० प्रतिशत वृद्धि।

२ बालिकाओं की ड्राप आउट दर में १०.१५ प्रतिशत की कमी लाना।

३ न्यून महिला साक्षरता वाले ३ विकास खण्डों में ६.८ वय वर्ष की शिक्षा से वंचित बालिकाओं में से ४० प्रतिशत का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराना।

४ कम महिला साक्षरता ३ विकास खण्डों में ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना कर वंचित बालिकाओं में ६०.८० प्रतिशत को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना।

५ ई.जी.ए. / ए.आई.ई. केन्द्रों पर उपलब्ध होने पर केवल महिला अनुदेशिकाओं को कार्य योजित किया जाएगा।

६ विकास क्षेत्र मेंहदावल एवं हैंसर में एक -एक १० दिवसीय कैम्प का आयोजन कर उस के माध्यम से कैम्प में शामिल बालिकाओं का परिषदीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन करना।

विकास खण्ड स्तर पर समारोह आयोजित कर कक्षा ५ एवं कक्षा ८ में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कृति करना।

विकास क्षेत्र में सर्वाधिक बालिका नामांकन वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षकों को सम्मानित किया जाना।

विकास क्षेत्र में कृषि एवं मजदूरी में लगी बालिकाओं हेतु

३ दिवसीय कैम्प लगाकर उनमें जागरूकता उत्पन्न कर पढ़ने की इच्छुक बालिकाओं की पहचान करना।

३ माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर चिन्हित बालिकाओ का शत-प्रतिशत नामांकन करना।

१० मेंहदावल एवं हैंसर विकास क्षेत्र (एवं बाढ़ प्रभावित अन्य विकास क्षेत्रों में भी) ३० के मानक को शिथिल करते हुये १०.१५ बालिका की उपलब्धता पर भी वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना । निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि- जिस प्रकार बालिका शिक्षा- सम्पूर्ण साक्षरताा का मूल आधार है, उसी प्रकार

प्रभावी जागरूकता अभियान एवं

निरापद पहुंच के भीतर पढ़ने की सुविधा ये दो कारण ऐसे हैं जिन्हें मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करने पर ही सर्व शिक्षा अभियान सफल हो सकता है।

७.४ पर्यवेक्षण :-

व्यापक जनहित से जुड़े कार्यक्रम की सफलता जिन बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है उनमें प्रमुख हैं-

- न्यूनतम इकाई से उच्च तक इकाई के मध्य तादात्मय।
- अनुभवी एवं दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन।
- कर्मठ एवं समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालन।
- नियमित पर्यवेक्षण।
- व्यवस्थित अनुश्रवण।
- सूचनाओं का आधुनिक संग्रहण एवं संप्रेषण।

सर्व शिक्षा अभियान की जो सबसे बड़ी विशेषता एवं नवीनता यह है कि योजना का निर्माण एवं प्रबन्ध नींव से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ना। इसी सिद्धान्त का पालन करते हुये जनपद में प्रबन्धन का ढांचा ग्राम स्तर से प्रारम्भ कर क्रमशः न्यायपंचायत/संकुल विकास खण्ड स्तर से होते हुये जनपद स्तर तक विकसित किया गया है।

७:४.१ ग्राम स्तर :-

ग्राम स्तर पर ई०जी०एस० एंव ए०आई०ई० योजना के संचालन एवं प्रबन्धन का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० की सफलता एवं असफलता का दारोमदार बहुत कुछ उन्हीं पर है।

यह इस दृष्टि से भी विचारणीय है कि दक्षिण भारत की तुलना में (जिन्हें साक्षरता कार्यक्रमों के सन्दर्भ में आदर्श माना जाता है) अभी उ०प्र० में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका अपेक्षानुरूप नहीं रही है। यह बात योजना आयोग की समीक्षा रिपोर्ट में भी कही गयी है। इस वास्तविकता के सापेक्ष जनपद संत कबीर नगर को भारत सरकार की उपलब्धियों के सन्दर्भ में प्रेषित गाइड लाइन्स के अनुसार दायित्व तो सौंपे हैं किन्तु साथ ही उनकी सफलता से निश्चित करने हेतु सुझाव भी दिये गये हैं।

ग्राम शिक्षा समिति- ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० के सन्दर्भ में निम्नवत् कार्य करेगी :-

- वातावरण सृजन एवं माइक्रोप्लानिंग में सहयोग।
- ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रमाणित करना एवं केन्द्र खोलने हेतु आग्रह करना।
- लाभार्थियों की पहुंच, सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रों की स्थल का चयन करना।
- ग्राम स्तर पर केन्द्रों के संचालन की दक्षता रखने वाले व्यक्तियों (प्राथमिकता के आधार पर महिला) का पैनल (अनिवार्यतः ३ सर्वाधिक उपयुक्त नाम) खण्ड शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराना।
- केन्द्र संचालनार्थ स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को अधिकाधिक सुलभ कराना।
- केन्द्र का नियमित प्रशिक्षण कराना।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक निदेशन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यों एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

- अनुदेशक के कार्य का मासिक सत्यापन कराना।
- दिये गये बजट के अनुसार केन्द्रों पर शिक्षण सामग्री की आपूर्ति कराना।
- अनुदेशक के मानदेय का चेक द्वारा भुगतान।

७:४.२ विकास खण्ड स्तर :-

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी संचालन, नियमित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं सम्यक नियोजन की दृष्टि से जिला परियोजना कार्यालय में एक उप जिला परियोजना अधिकारी का पद रखा जायगा जो जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जनपद में संचालित केन्द्रों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे। उनके सहयोग में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यों का निर्वाहन करेंगे।

- संसाधनों के सम्यक उपयोग एवं सुरक्षा की दृष्टि से योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर एवं उसके लिए प्रस्तावित/नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेंगे। इन पर सभी आधारभूत आँकड़े एवं अद्यावधि सूचनायें रखी जायेंगी।
- उप जिला परियोजना अधिकारी पद पर तैनात अधिकारी के पास बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कोई भी प्रभार या कार्य नहीं रहेगा इस पद पर कार्यरत अधिकारी पूर्णकालिक ई०जी०एस०/ए०आई०ई० के प्रबन्धन दायित्व सभालेंगे। इन पर जिला बेसिक अधिकारी का नियन्त्रण रहेगा।
- योजनान्तर्गत जनपद पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिक को समायोजित किये जाने के प्रस्ताव हैं।
- परामर्शी एवं कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर प्रति नियुक्ति/ संविदा के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

७.५ केन्द्रों का निर्धारण

जनपद में कुल आवाद ग्राम १७२७ है जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ७०१ है । इस प्रकार १०२६ ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है। इसी के सापेक्ष जनपद में ६ से ८ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या विभागीय आंकड़ो के अनुसार ६६०० है किन्तु केन्द्रों की स्थापना में हमारा लक्ष्य संख्यात्मक उपलब्धि के स्थान

पर गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त करना है, जिससे वच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष शिक्षा मिल सके। इसलिए इन केन्द्रों की स्थापना चरणवद्ध रूप में की जायेगी।

हमारा मुख्य प्रयास रहेगा कि वच्चों में से जिनकी आयु/सामर्थ्य प्रा०वि० में जाने की है, वे प्रत्येक दशा में स्कूल जाये।

केन्द्रों की स्थापना :-

जो बच्चे विद्यालय से बाहर होने के साथ ही अधिक आयु के हो गये है या तमाम प्रयासों के बावजूद जो अपनी परिस्थितियों से विद्यालय जाने मे असमर्थ है उनके लिये केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

जनपद में उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार ६.१४ वय वर्ग के बच्चों हेतु आगामी ३ वर्षों में प्राथमिक स्तर के ३० केंद्र चरणबद्ध रूप में खोले जायेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र ऐसे ग्रामों में खोले जायेंगे जहां प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा ५ तक की शिक्षा पूरी कर उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंच के भीतर न होने कारण बच्चे, विशेष कर बालिकायें शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही है। इनके अतिरिक्त २५० बच्चों को ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से मुख्य धारा में सम्मिलित कराया जाएगा। इसके लिए वर्ष २००३.०४ में तीन तथा २००४.०५ में दो ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेंगे।

केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार लक्ष्य

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या							
		ई०जी०एस०				ए०आई०ई०प्रा० स्तर			
		पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र	पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र
१प	२००२.०३	१४२	.	१४२	३५५०	.	.	.	.
२प	२००३.०४	१४२	.	१४२	३५५०	.	.	.	.
३प	२००४.०५	१४२	.	१४२	३५५०	.	१०	१०	२५०
४प	२००५.०६	१४२	.	१४२	३५५०	१०	२०	३०	७५०
५प	२००६.०७	.	.	.	.	१०	.	१०	२५०

लक्ष्य यह है कि जैसे-जैसे प्राथमिक विद्यालय खुलते जायेंगे अथवा वच्चों का नामांकन निकटतम विद्यालयों में कराते हुये वैसे-वैसे ई०जी०एस०/ए०आई०ई० केन्द्रों को बन्द कर दिया जायगा।

केन्द्रों को प्रारम्भ में कम संख्या में खोलना प्रभावी नियंत्रण एवं संचालन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। इसके लिए जनपद के ८ विकास खण्डों को ३ चरणों में बांटा जायगा। प्रथम चरण में कम महिला साक्षरता एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति बाहुल्य वाले विकास क्षेत्रों में केन्द्र खोल जायेंगे। इसी के साथ वे विकास क्षेत्र भी लिए जायेंगे जिनमें बाढ़ प्रभावित होने के कारण आवागमन की समस्या रहती है।

विद्यालय वापस चलो शिविर /समर कैम्प

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हैं। यह शिविर प्राथमिक एवं उ० प्राथमिक दोनों के लिए चलाये जाते हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा। इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चो को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े गये हैं शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि १० दिन की होगी इन शिविर में ऐसे बच्चो को ही प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहें है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहें हैं इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा। इन शिविरों का वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	२००१.०२	२००२.०३	२००३.०४	२००४.०५	२००५.०६	२००६.०७	२००७.०८	२००८.०९	२००९.१०
शिविर सं०	.	.	२५	२०	१०	.	.	.	.
लाभार्थी सं०	-	-	1000	800	400	-	-	-	-

ब्रिज कोर्स

जनपद के ऐसे बच्चे जो शालात्याग कर चुके हैं तथा विशिष्टि कारणों से विद्यालय नहीं जा रहें हैं उनको विद्यालय वापस लाने के लिए ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। यह ६ माह का होगा तथा आवासीय होगा। जनपद में इन कठिन समूह के बच्चो को चयनित करके ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा इन कोर्स को चलाने के लिए सभी तैयारियाँ की जायेगी इनका वर्षवार लक्ष्य निम्न है।

वर्ष	२००१.०२	२००२.०३	२००३.०४	२००४.०५	२००५.०६	२००६.०७	२००७.०८	२००८.०९	२००९.१०
संख्या	.	.	३	२	.	.	.	.	.

राज्य स्तरीय उच्चधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वंयसेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई०जी०एस०/ए०आई०ई० योजना के तहत मानक के

अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद मे चयनित स्वंय सेवी संगठन द्वारा शिक्षा गारन्टी स्कीम/ वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वंयसेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशको को प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखतें है। उनका भी सहयोग एजुकेशन गारन्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठन/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

षिषु षिक्षा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण :-

छोटे भाई -बहनों की देख-रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव नहीं हो पाता। कुछ बालिकाएं इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में ३-६ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों के अतिरिक्त मानदेय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में बाल विकास विभाग द्वारा कुल ८ विकास खण्डों में ६८५ आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

विकास खण्ड बघौली में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित ६१ केन्द्रों को भी अभियान की अवधि तक आगे संचालित रखा जाएगा। ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम/ विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला-त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। केन्द्रों के वर्षवार संचालन का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	योग	आच्छादित छात्र संख्या
२००२.०३	६१	.	६१	६१०
२००३.०४	६१	.	६१	६१०
२००४.०५	६१	.	६१	६१०

ग्रीष्म कालीन शिविरः-

विकास खण्ड हैसर/पौली जहां कमजोर वर्ग की आबादी अधिक है एवं मजदूरी के कारण शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक है जिसमें बालिकाओं की

अधिकांश संख्या या तो विद्यालय नही जाती है या बीच में ही शालात्याग कर जाती है। शालात्याग कम करने तथा बालिका नामांकन में वृद्धि हेतु ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की योजना है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या	आच्छादित छात्र संख्या
२००२.०३	.	.
२००३.०४	२५	२४००
२००४.०५	२०	८००
२००५.०६	१०	४००
२००६.०७	.	.

परिवार सर्वक्षण आँकड़ो का वार्षिक अद्यावधिकरण

जनपद में माइक्रोप्लानिंग के अर्न्तगत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ६.११ व ११.१४ वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता हैं। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चो को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चो का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा ताकि वाछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सकें। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आँकड़ो को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० ५०,०००.०० की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रोप्लानिंग के अर्न्तगत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से ११.१४ वय वर्ग के बच्चो की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में आँकड़ो के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना एकत्र करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वाछित सूचना का समावेश हो सके परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय-८

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम :-

विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में वृद्धि करने हेतु विद्यालयों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है-

१. वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता/कमी :-

जनपद स्तर से ग्रामीण स्तर तक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं की स्थिति अधोलिखित सारणी में उल्लिखित है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता के लिए अध्याय २ में दर्शायी गयी सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में ६ प्रा० विद्यालय तथा एक उच्च प्रा० वि० एक कक्षीय है, ३०० प्रा०वि० तथा १ उच्च प्रा० विद्यालय दो कक्षीय हैं, २८ उच्च प्रा० वि० तीन कक्षीय तथा २७ उच्च प्रा० वि०चार कक्षीय है । यदि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन कक्ष का मानक रखा जाय तथा चौथा कक्ष उस विद्यालय के लिए आवश्यकता मानी जाय जहां छात्र संख्या अधिक है तो जनपद में ३९० अतिरिक्त कक्ष जिसमें प्राथमिक स्तर पर ३३१ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ५९ कक्ष देना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकन में वृद्धि के कारण कक्षा-कक्ष की आवश्यकता में प्रतिवर्ष वृद्धि होगी जो निम्न सारणी से स्पष्ट है :-

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता वर्षवार

क्र० सं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	४०रू१ दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग ;४़५द्ध	आवश्यक कक्षा कक्ष
१.	२००३.०४	१३३६०७	३३४०	१८५३	१६२	२०१५	१३२५
२.	२००४.०५	१३६२७६	३४०७	२०१५	०	२०१५	१३६२
३.	२००५.०६	१३६००५	३४७५	२०१५	०	२०१५	१४६०
४.	२००६.०७	१४१७८५	३५४५	२०१५	०	२०१५	१५३०

प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा का विवरण निम्न हैं:-

वर्ष	२००२.०३	२००३.०४	२००४.०५	२००५.०६	२००६.०७
प्राथमिक	०	०	१२५	१२५	८१
उच्च प्राथमिक	१०	०	३२	२७	०

वर्तमान एवं आगामी वर्षों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता वर्षवार

क्र० सं०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	१:४ की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
१.	२००२.०३	११०	२०	५२०	४५१	६६
२.	२००३.०४	१३०	७६	८२४	७५५	५६
३.	२००४.०५	२०६	०	८२४	७५५	५६
४.	२००५.०६	२०६	०	८२४	७५५	५६
५.	२००६.०७	२०६	०	८२४	७५५	५६

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का वर्षवार प्रस्ताव-

आईटम का नाम	वियालय पुनर्निर्माण		पेय जल सुविधा		शौचालय		चहार दिवारी		अतिरिक्त कक्ष	
वर्ष	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.
२००२.	.	.	.	.	.	२६	.	.	.	१०

०३										
२००३.०४	.	.	.	.	१५	१५	.	.	.	.
२००४.०५	२०	५	२५	१४	११६	११	.	.	१२५	३२
२००५.०६	२०	.	२६	.	१००	.	.	.	१२५	२७
२००६.०७	.	.	.	.	८५	.	.	.	८१	.
२००७.०८	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
२००८.०९	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
२००९.१०	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
योग :-	४०	५	५१	१४	३१६	४४	.	.	३३१	६६

२. अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता :-

वर्षवार शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है-

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकत

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग ४+५	४०:१ दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	शिक्षक	शिक्षा मि[illegible]
१	२००३.०४	१३३६०७	२४०२	९९५	3396	३३४०	—	—	—
२	२००४.०५	१३६२७६	2402	९९५	3396	३४०७	10	05	0[illegible]
३	२००५.०६	१३९००५	2406	1000	3406	३४७५	68	34	3[illegible]
४	२००६.०७	१४११८५	2441	1034	34[illegible]5	३५४५	60	35	3[illegible]

शिक्षको तथा शिक्षा मित्रो में ५० प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की जायेगी।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा०वि० के शिक्षक प्र.अ.+	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षामित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षामित्र

क्र०	वर्ष	कुल आवश्यकता	प्र.अ.+शि.मित्र	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्र० शिक्षा मित्र
१	२००३.०४	—	–	—	—	—	—
२	२००४.०५	१०	.	०५	०५	०५	०५
३	२००५.०६	६८	.	३४	३४	३९	३९
४	२००६.०७	७०	.	३५	३५	७४	७४

इस के प्रस्ताव निम्न हैं–

वर्ष	२००३.०४	२००४.०५	२००५.०६	२००६.०७
अति० शिक्षक	–	०५	३४	३५
अति शिक्षामित्र	---	०५	३४	३५

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता निम्न सारिणी से स्पष्ट है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	१रू५ शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
१	२००३.०४	१३०	७६	६५०	४२२	२२८
२	२००४.०५	२०६	०	१०३०	६५०	३८०
३	२००५.०६	२०६	०	१०३०	१०३०	०
४	२००६.०७	२०६	०	१०३०	१०३०	०

इस के लिए सर्व शिक्षा अभियान मे कोई प्रस्ताव नहीं है।

३. विद्यालयों का रख–रखाव :–

(विद्यालय विकास अनुदान)

हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को साकार करने के लिए एवं प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण में समुदाय आधारित शिक्षा समग्र परिकल्पना को डी०पी०ई०पी० की तरह सर्वशिक्षा अभियान में भी प्रति विद्यालय २००० रूपये तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय २००० रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय विकास के लिए किये जाने वाले निम्नलिखित कार्यों पर प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी–

- स्कूल उपयोगार्थ मेज-कुर्सी, टाटपट्टी, अलमारी आदि आवश्यक सामग्री क्रय करना।
- स्कूल भवन में ब्लैक बोर्ड व अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य।
- स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण, फूल पत्ती, गमला से साज–सज्जा।

प्रत्येक विद्यालयों के भवन के रखरखाव पर भी प्रति वर्ष रू० ५००० के दर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

जिनका उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव के आधार पर आवश्यकता अनुसार व्यय किया जायगा। यदि किसी विद्यालय को मरम्मत हेतु प्राप्त धन से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने वह यदि चाहे तो दो या तीन वर्षों की धनराशि सम्मिलित कर मरम्मत कार्य करा सकेंगे। उक्त मदों मे वर्षवार प्रस्ताव निम्नवत् है-

रख-रखाव अनुदान तालिका:-

विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष २००३.०४	वर्ष २००४.०५	वर्ष २००५.०६	वर्ष २००६.०७
परिषदीय प्रा० विद्यालय	७०१	७८२	७८२	७८२
परिषदीय उच्च प्रा० विद्यालय	१३०	२०६	२०६	२०६

विद्यालय विकास अनुदान:-

प्राथमिक विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष २००३.०४	वर्ष २००४.०५	वर्ष २००५.०६	वर्ष २००६. ०७
परिषदीय प्रा० विद्यालय	७०१	७८२	७८२	७८२
सहायता प्राप्त प्रा० विद्यालय	१	१	१	१
योग :-	७०२	७८३	७८३	७८३

विद्यालय विकास अनुदान:-

उच्च प्राथमिक स्तर	विद्यालय संख्या			
	वर्ष २००३.०४	वर्ष २००४.०५	वर्ष २००५.०६	वर्ष २००६. ०७
परिषदीय उच्च प्रा० विद्यालय	१३०	२०६	२०६	२०६
सहायता प्राप्त उच्च प्रा० विद्यालय	१०	१०	१०	१०
मा० वि० से सम्बद्ध सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्तर	३२	३२	३२	३२
राजकीय वि० से सम्बन्धित उ०प्रा०	१	१	१	१
योग :-	१७८	२४९	२४९	२४९

४. टीचिंग लर्निंग मेटेरियल :-

सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से अध्यापकों को रू० ५०० की दर से अनुदान उपलब्ध कराने का वर्षवार आगणन निम्नवत है-

४.१ शिक्षक अनुदान प्राथमिक स्तर

वर्ष	वर्तमान शिक्षक	शिक्षा मित्र	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षा मित्र	योग
२००३.०४	२४०२	६१४	—	—	३३४५
२००४.०५	२४०२	९९५	०५	०५	३४०[illegible]
२००५.०६	२४०६	१०००	३४	३४	३४६५
२००६.०७	२४४१	१०३४	३५	३५	३५[illegible]

४.२ शिक्षक अनुदान उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	परिषदीय वर्तमान शिक्षक	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक	सहायता प्राप्त एवं राजकीय मा०वि० से सम्बन्ध उ०प्रा० ७३ग३	योग
२००३.०४	८६३	८०	९९	१०४२
२००४.०५	८६३	८०	९९	१०४२
२००५.०६	८६३	८०	९९	१०४२
२००६.०७	८६३	८०	९९	१०४२

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहां एक ओर लक्ष्यों को सीखने मे मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षको को विषय सामग्री को बच्चो के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षको तथा बच्चों दोनो को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकें। कम्प्युटर शिक्षा को उपयोग एंव रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदो में कुछ चयनित स्कूलो मे कम्प्युटर कार्यक्रमो के अर्न्तगत प्रथमतः प्रतिवर्ष ८ विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल २४ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त ६०,०००.०० रू० व्यय किये जायेगे।

वर्षवार	२००१. ०२	२००२. ०३	२००३. ०४	२००४. ०५	२००५. ०६	२००६. ०७	२००७. ०८	२००८. ०९	२००९. १०
कम्प्यूटर हेतु उ०प्रा० वि० की संख्या	.	.	.	८	८	८	.	.	.

५. बालिका-शिक्षा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि :-

बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता दर को देखा जाय तो जनपद की स्थिति संतोषजनक नहीं है । प्रदेश की महिला साक्षरता दर ४२.६८ की तुलना में जनपद की साक्षरता दर २८.८८ है जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी मात्र १६.५४ प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाएं जो जनपद के कुल महिला आबादी के लगभग २५ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, की स्थिति निःसंदेह विकास के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न स्तरीय भागीदारी एवं निम्न सामाजिक स्तर को इंगित करता है। बालिकायें, जो बच्चों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, का शैक्षणिक स्तर निम्न होना उनकी शिक्षा के लिए विशेष सचेतता की आवश्यकता दर्शाता है।

जनपद संत कबीर नगर विगत वर्षो में विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित एवं आच्छादित रहा। परियोजनावधि मे बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के क्रम में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गये। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक /बालिका को सुलभ कराने विशेषतः बालिकाओं के शिक्षा के सम्बन्ध मे अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध मे लोगों में चेतना पैदा करने, नामांकन को एक अभियान के रुप में संचालित करने के उददेश्य से निम्नलिखित कार्य संपादित किये गये-

1. स्कूल चलो अभियान के कारण बालगणना द्वारा ६.१४ वय वर्ग के बालक/बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।
2. चिन्हित बालक/बालिकाओं को विद्यालय मे नामांकन करने के उददेश्य से
   - **(i)** ग्राम स्तर पर शैक्षणिक गोष्ठियों का आयोजन जिसमे बालिका शिक्षा पर सामयिक चर्चा करयी गयी।

(ii) जिला स्तर पर गोष्ठी का आयोजन एवं नामांकन अभियान को प्रत्येक गांव/मुहल्ले तक पहुचाने के उददेश्य से ग्राम न्याय पंचायत ब्लाक एवं जिले स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमो के माध्यम से चिन्हित बालक / बालिका के सापेक्ष बालक /बालिका का नामांकन कराया गया।

(iii) बालिकाओं का गुणवत्तापरक शिक्षा देने एवं विद्यालय मे उनका ठहराव सुनिश्चित करने के उददेश्य से पाठय पुस्तकों का निः शुल्क वितरण सुनिश्चित किया गया।

(iv) विद्यालय के प्रति बालिकाओं मे रुचि पैदा करने जीवनोपयोगी क्रिया-कलापों के माध्यम से विद्यालय ठहराव सुनिश्चित करने के उददेश्य से कार्यानुभव कार्यक्रम भी पायलेट प्रोजेक्ट के रुप मे संचालित किया गया।

(v) बालिकाओं के अधिक शालात्याग दर को ध्यान मे रखते हुए ग्रीष्मकालीन शिवरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति जन सामान्य मे निःसंदेह उत्साहवर्धक जागरुकता आयी। जिसके परिणाम स्वरुप नामांकन मे आशातीत वृद्धि हुई है।

समस्यायें एंव विश्लेषणः-

उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव मे वृद्धि हुई लेकिन अपेक्षित सफलता नही मिल पाई। जनपद के अधिकांश विकास-खण्डो में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान जनपद होने के कारण अधिकांश अभिभावक अपने बालिकाओं को घरेलू कार्य (कृषि पशुपालनआदि) में लगाते हैं। बालिकाओं की उपस्थिति पारिवारिक कार्यो मे लगे रहने के कारण औसतन कम होती है। अभिभावक शिक्षा के प्रति कम जागरुक होने के कारण उन्हें विद्यालय हेतु उन्हें पर्याप्त समय नही देते। कुछ बालिकायें कक्षा ५ के बाद असुरक्षा के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं। औसत ३ कि० मी० दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित होने के कारण अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेजने में हिचकते हैं।

प्रस्तावित रणनीति :-

जनपद संत कबीर नगर में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वित होने से बालिका शिक्षा को एक सर्वव्यापी स्वरुप देने मे यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस अभियान में प्रत्येक बालिका को शिक्षा सुलभ कराने के उददेश्य से भौगोलिक, सामाजिक एवं स्थानीय आवश्यकता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है।

1. बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों मे अपनी बालिकाओं को भेजने से कतराते हैं।

   परिणामस्वरुप कक्षा ५ तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अधिकांश बालिकायें विद्यालय छोड़ देती हैं। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए सर्वशिक्षा के अन्तर्गत कक्षा ६ से ८ तक की शिक्षा के लिए प्रति दो प्राथमिक विद्यालयो के सापेक्ष एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव रखा गया है। पर्याप्त संख्या में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हो जाने से विद्यालय में छात्राओं की पहुंच आसान हो जायेगी तथा अभिभावक भी बालिकाओं को विद्यालय
   भेजने में रुचि रखेंगे जिससे उनमे शाला त्याग के दर में पर्याप्त कमी आ सकती है। साथ ही साथ १.५ कि० मी० की परिधि से अधिक ऐसे ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा जहां की आबादी ३०० से अधिक है।
2. प्रत्येक विद्यालय में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ चहारदीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे विद्यालय सुरक्षित एवं आकर्षक हो सकें।
3. माता शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जायेगा।
4. बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने एवं ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा।
5. विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में बालिका शिक्षा समिति के सदस्य, अध्यापक एवं अभिभावक बालिकाओं के शिक्षा हेतु विशेष प्रयास कर सकें।

कार्यक्रम :-

१. शिशु शिक्षा केन्द्र /सम्बद्ध केन्द्रों की सुदृढ़ीकरण :-

छोटे भाई -बहनों की देख-रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं , जिससे विद्यालय में उनका ठहराव संतोषजनक नहीं हो पाता । कुछ बालिकाएं इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाकर इन केन्द्रों में ३.६ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों के अतिरिक्त मानदेय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में आई०सी०डी०एस० विभाग द्वारा कुल ८ विकास खण्डों में ६८४ आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। विकास क्षेत्र बघौली जहां आंगन बाड़ी, ई०सी०सी०ई केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित ६१ केन्द्रों को भी अभियान की अवधि तक आगे संचालित रखा जाएगा। ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यून्तम महिला साक्षरता, उच्च शाला-त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। केन्द्रों के वर्षवार संचालन का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	पूर्व से संचालित केन्द्र	नवीन केन्द्र	योग
२००२.०३	६१	.	६१
२००३.०४	६१	.	६१
२००४.०५	६१	.	६१

२. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :

शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के परिवारिक, पारम्परिक एवं गैर-पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिभावक बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने,

मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान बनाने की कला के साथ प्रशिक्षित कर शिक्षा के साथ जोड़ा जायेगा, क्योंकि जनपद में स्थानीय रूप से उक्त कारोबार विकसित है और कच्चे माल की उपलब्धता भी रहती है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जायेगा।

इस वर्ष ५ विकास खण्ड में एक-एक उच्च प्रा०वि० में सिलाई का कार्यानुभव योजना प्रस्तावित है। आने वाले वर्षों में भी इसे जारी रखा जायेगा।

३. ग्रीष्म कालीन शिविरः-

विकास खण्ड थैंसर/पौली जहां कमजोर वर्ग की आबादी अधिक है एवं मजदूरी के कारण शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक है जिसमें बालिकाओं की अधिकांश संख्या या तो विद्यालय नही जाती है या बीच में ही शालात्याग कर जाती है। शालात्याग कम करने तथा बालिका नामांकन में वृद्धि हेतु ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की योजना है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या
२००२.०३	.
२००३.०४	२५
२००४.०५	२०
२००५.०६	१०
२००६.०७	.

४. आदर्श न्याय पंचायत एप्रोच :-

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुभवों के आधार पर कुछ न्याय पंचायतों को आदर्श न्याय पंचायत के रूप में चुनकर उनमें शिक्षा के सर्वांगीण विकास के प्रयास किये जाएंगे। वर्ष वार लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

वर्ष	आदर्श न्याय पंचायतों की संख्या
२००१.०२	.
२००२.०३	.
२००३.०४	.
२००४.०५	५

२००५.०६	५
२००६.०७	.

अन्य :-

बालिका शिक्षा के क्षेत्र के बढ़ावा हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं मे जागरुकता पैदा करना मातृ सम्मेलन कराना मां-बेटी मेलों काआयोजन प्रभात फेरी द्वारा जागरुकता पैदा करना आदि।

५. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु बालिकाओं मे निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण कराया जाना है। इसके लिये बालिकाओं मे पाठय पुस्तकों मे वितरण कराया जाना है। इनमे बालिकायें अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति के बालकों की जितनी संख्या है, सभी को भी निःशुल्क पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

६.१४ वर्ष वर्ग कक्षा १ से ८ तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक का वितरण हेतु वर्ष वार अनुसूचित जाति बालक तथा कुल बालिकाओं की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक स्तर परिषदीय (कुल बालिका+ अनु० बालक)	उ०प्रा०स्तर परि० एवं समस्त सहायता प्राप्त एवं राजकीय/मा०वि०से सम्बन्धित उ०प्रा०वि० (कुल बालिका+अनु० बालक)	योग
१	२००४.०५	६१३०७	२६७७६	११८०८३
२	२००५.०६	६३१३३	२७३११	१२०४४४
३	२००६.०७	६४६६६	२७८५८	१२२८५४

६.समेकित एंव सम्मिलित शिक्षा :-

समाज मे ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार के विकलांगता के शिकार हैं। उनकी शिक्षा के लिये अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरुप आज भी बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अति संवेदनशीलता के कारण या तो नामांकन करा लेने के कुछ समय बाद विद्यालय छोड़ने को विवश हो जाते हैं या नामांकन कराते ही नहीं। ऐसा देखा गया है कि गम्भीर मानसिक एवं शारीरिक रुप से विकलांग बच्चे विद्यालय से बाहर तो रहते ही हैं आंशिक रुप से विकलांग बच्चे भी हीन भावना के कारण शिक्षा के समान अवसर से वंचित हो जाते हैं।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद मे कुल विकलांग बच्चे चिन्हित किये गये हैं इसमे से ६.११ आयु वर्ग के तथा ११.१४ आयु वर्ग के बच्चे चिन्हित हैं,जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी मे दर्शाया गया है:-

विकलांगता वार चिन्हित बच्चों का विवरण

	विकलांगता का प्रकार					
	दृष्टि	श्रवण	शारीरिक	मनसिक	अधिगम	कुल
६-११ वर्ष	२०५	३४५	३४०	२२०	८५	११९५
११-१४ वर्ष	१८५	३७०	१३५	१७०	२२०	१०८०

समेकित शिक्षा:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। अल्प एवं संगत विकलांगता वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना का निर्माण किया जायगा। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में विकलांग बच्चों के अभिभावकों में से एक को नामित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन में स्वास्थ विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, विशिष्ट शिक्षकों, समाजिक कार्यकर्ताओं, मूकबधिर विद्यालय व अन्ध विद्यालय के विशिष्ट शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जायगा।

अधिलाभ विकलांगता की पहचान के लिए उपरोक्त विशेषज्ञों का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायगी। इससे न केवल विकलांगता की प्रवृत्ति को पहचानने की अन्तदृष्टि प्राप्त होगी अपितु समेकित शिक्षा के लिए।जनपद सन्दर्भदाता को पहचानने में भी सहायता मिलेगी। अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला भी विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर प्रस्तावित है। इसमें एक माड्यूल का विकास किया जायगा, जिससे विकलांगता की पहचान और सलाह के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षित किया जायगा। ताकि वे जान सके कि विकलांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सके। ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के सन्दर्भ में

उपकरण एवं संयत्र :-

विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए जनपद के निकटवर्ती जनपद बस्ती में पहले से ही कई संस्थायें क्रियाशील है, किन्तु विशेषकर बच्चों पर इन संस्थाओं द्वारा कम ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों पर दया नहीं बल्कि सहानुभूति का भाव रखते हुए सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से समाज के प्रशिक्षित एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों जैसे- लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, जेसीज क्लब आदि से मिलकर गोष्ठियों एवं आयोजनों के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए उपकरण/संयंत्र उपलब्ध कराया जायगा।

कार्य योजना का क्रियान्वयन :-

विकलांग बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जनपद में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायगा। इसके अतिरिक्त जनपद में एक समेकित एवं बाल विकास समन्वयक के पद प पदस्थापन किया जायगा जो इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा। जनपद में चलाये जाने वाले सभी परीक्षाओं में विकलांग बच्चों से सन्दर्भित विषय जोड़े जायेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से समय-समय पर समेकित शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाया जायगा। विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी जनजागरण द्वारा जागरूक किया जायगा तथा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बच्चों के स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया जायगा। इसकी समीक्षा जिला समन्वयक करते रहेंगे।

सम्मिलित शिक्षा के अन्तर्गत कुछ नवाचार कार्यक्रम द्वारा विकलांग बच्चों की उनकी क्षमताओं के विकास करने का प्रयास किया जायेगा। जिसमें स्टेन्सिल काटना, आलू या लकड़ी के ठप्पे बना कर उनका प्रयोग करना तथा उससे कला-कृतियां बनाना मोम या प्लास्टर आफ पेरिस से सांचा तैयार कर कला कृतियां तैयार करना संगीत एवं कला के माध्यम से उनकी इन्द्रियों का विकास करना सम्मिलित है। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट अध्यापकों को समन्वयक पर उनके घर जा कर शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

विकलांग बच्चों की मानसिक स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होती है। उनमें हीनभावना की प्रवृत्ति अधिकांश होती है ऐसे बच्चों को उत्साहित करने की आवश्यकता है इसके लिए शिक्षकों में उनके प्रति संवेदनशीलता

की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले
बच्चों की पहचान कर इनके लिए विशेष प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर उसमें अध्यापकों का पाँच दिवसीय संवेदनशील शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ताकि कक्षाओं में बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकतओं एव भावनाओं का सामंजस्य करते हुए शिक्षा दिया जा सके।

७. छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :-

स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए रोस्टर बना कर विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। विद्यालयों में एक रजिस्टर रखी जायेगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उसका पूरा विवरण अंकित किया जायेगा। रोगी बच्चों की चिकित्सा का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी। सम्प्रति विकास खण्डों में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य चल रहा है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :-

प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग कल्यांण विभाग, पंचायत राज्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार-विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन, वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों का संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया, जबकि विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु ६.११ एवं ११-१४ वय वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज्य विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

६.१४ आयु वर्ग बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बस्तियों की संख्या गांव एवं नगर दोनों में अधिक है। गांव

में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगति रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

वातावरण सृजन :-

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :-

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं ५ वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

अध्याय–६

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

समान, अवसर, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता के मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण तथा आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की प्राप्ति के लिए शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा के सार्वभौमीकरण शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा समाज के हर वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित करने के अनेक प्रयास किए गये। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ में समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए बिना किसी धर्म जाति अथवा लिंग भेद के प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के बल दिया गया है। इसी नीति के अर्न्गत सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक समाज शिक्षा की संकल्पना की गयी।

1. जिसमें सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के अवसर उपलब्ध हों।
2. शिक्षा का एक समान ढांचा हो।
3. दस केन्द्रिक बिन्दुओं पर आधारित एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो।
4. उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम स्तरों (दक्षताओं) का समावेश हो।
5. कार्यक्रम को गति तथा सबल प्रदान करने के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को एक सम्पूरक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया हो।

इसी तारतम्य में जनपद के पैतृक जनपद बस्ती में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना १९९६ में की गयी जो बस्ती रोडवेज से गोरखपुर रोड पर लगभग पांच किलोमीटर दूर प्लास्टिक काम्पलेक्स प्रांगण में स्थापित है जो शैक्षिक समस्याओं के निराकरण में सतत् प्रयत्नशील है।

डायट के उद्देश्य :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना।

शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तरों उन्नयन करना।

शिक्षक-शिक्षा के स्तर को समुन्नत करना।

जनपद के स्थानीय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान करने और उनके पहचान करने और उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध अध्ययन करना तथा

अन्य इकाईयों को मार्ग दर्शन करना।

राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना।

कार्य क्षेत्र

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इनके प्रमुख कार्य संक्षेप में निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये-

1. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. प्रसार/परामर्श/शिक्षण एवं शिक्षणोपकरण का निर्माण।
3. क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षण, कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

१ सेवापूर्व प्रशिक्षण विभाग :-

इस विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य है।

(अ) प्रथमिक विद्यालय हेतु अध्यापकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण का आयोजन।

(ब) अधिगमकर्ता केन्द्रित शिक्षा का उत्थान, प्रशिक्षण विस्तार तथा उपयुक्त शिक्षण-सामग्रियों के विकास के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना।

(स) शिक्षण विधियों का सामान्य एवं विशिष्ट उपयोग।

२ कार्यानुभव विभाग :-

इस विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों का समावेश है।

(अ) स्थानीय सार्थक कार्यानुभव क्षेत्रो का चयन तथा शिक्षण अधिगमन सामग्री) का विकास।

(ब) स्व निर्मित सामग्री का विकास तथा मूल्यांकन उपकरणों का विकास।

(स) सुनियोजित कार्यानुभव आधारित क्रिया कलापों को विद्यालय में प्रारम्भ कराना तथा शैक्षिक अधिकारियों की सहायता करना।

(द) सामुदायिक सेवा तथा कलात्मक मुल्यों के आधार पर संस्थान को जीवन प्रदान करना।

३ जिला संदर्भ इकाई विभाग (डी०आर०यू०) :-

निम्नांकित क्रिया-कलापों को समाहित करते हुये इस विभाग का कार्य विवरण निश्चित किया गया-

(अ) प्रौढ़-शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन एवं सम्वंध जिला अधिकारियों की सहायता करना तथा संस्थान से बाहर आयोजित कार्यक्रमों के नियोजन एवं समन्वय में जिला अधिकारियों की सहायता करना तथा संस्थान से बाहर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग देना।

(ब) पर्यवेक्षकों हेतु प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा की व्यवस्था करना।

(स) संदर्भ व्यक्तियों हेतु पुनर्बोधात्मक कार्यक्रमों का आयोजन।

४ सेवारत प्रशिक्षण विभाग :-

इस विभाग में निम्नांकित कार्यक्रम अपनाये जाने की निश्चितता है-

(अ) प्राथमिक शिक्षकों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन एवं समन्वयन में शिक्षाधिकारियों की सहायता करना।

(ब) अध्यापकों प्रधानाध्यापकों के सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(स) संदर्भ व्यक्तियों हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा संस्थान के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों पर सेवारत प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहयोग देना।

(द) सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा उपादेयता का मूल्यांकन एवं सतत् प्रगति का अनुश्रवण करना।

५ पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग :-

(अ) प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रचलित तथा नव विकसित विधाओं का समावेश करना।

(ब) पाठ्यक्रम इकाइयां तथा शिक्षण अधिगम इकाइयों का विकास तथा जनपद के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु कक्षा १ -२ के स्तर से जनजाति भाषा में प्राइमर का निर्माण करना।

(स) सतत मूल्यांकन हेतु तकनीक तथा दिशा निर्देश का विकास करना।

(द) परीक्षण/प्रश्न बैंक/रेटिंग स्केल तथा निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक कार्यक्रमों हेतु दिशा निर्देशों का कार्यशालाओं द्वारा निर्धारण।

(य) प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा हेतु डी०आर०यू० की सहायता करना।

६ शैक्षिक तकनीकी विभाग :-

(अ) संस्थान से सम्बन्धित स्टाफ तथा संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से सरल प्रभावी तथा अल्प कीमत के शिक्षण सामग्री, चार्ट, माडल, फोटोग्राफ,

स्लाइड, आडियो टेप, नाटक आलेख का निर्माण करना।

(ब) जिला संदर्भ इकाई में अल्प कीमतों के शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायता करना।

(स) निम्नांकित सामग्री का अनुश्रवण करना।

(द) स्मस्त श्रव्य दृश्य सामग्री का रखरखाव।

(य) कम्प्यूटर लैब।

(र) संस्थान व संस्थान से बाहर उत्तम तथा अल्प कीमत आधाति शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन।

(ल) दृश्य-श्रव्य-कैसेट से लाइब्रेरी।

७ नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग :-

(अ) जनपदीय विविध शैक्षिक सूचना आकड़ों का रखरखाव तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की सम्प्राति हेतु नियोजन तथा क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायक सिद्ध होना।

(ब) नीति विषयक परामर्श हेतु अध्ययन के आधार हेतु शैक्षिक नियोजकों प्रशासकों तथा जिला परिषदों को जनपद स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सहायता प्रदान करना।

जनपद संत कबीर नगर में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में परिवर्तन के लिए वर्ष १९९७ में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) प्रारम्भ की गयी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा साधनों का सृजन करने के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। जिला स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व मे प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को कार्य स्थलों पर सहयोग/समर्थन के लिए योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस काम मे जिले में पद स्थापित ब्लाक समन्वयकों न्याय पंचायत प्रभारियों को उनके कार्य एंव दायित्तव से सम्बन्धित तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया।

समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण में आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण तथा विद्यालयों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों का उनके भौतिक/अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर महीने की बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, टी०एल०एम० मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम चलाया गया।

यह अनुभव किया गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना से ओत-प्रोत प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की गयी किन्तु कुछ अनाच्छादित रहे। जिनको समुचित सहयोग एवं पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया गया।

जैसे-

१ उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूर्ण रुप से ध्यान नहीं दिया गया।

२ मान्यता प्राप्त अशासकीय/राजकीय विद्यालयों से सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षकों के अकादमिक आवश्यकता पर डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम में ध्यान नहीं दिया जा सका।

३ अशासकीय/हाईस्कूल/इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा ६ से ८ के बच्चों की शैक्षिक और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

४ मकतब/मदरसों में अध्ययनरत बच्चों/शिक्षकों को, जनपद मे संचालित परियोजना कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

जनपद संत कबीर नगर :-

१	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	- ७०१
२	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	- १३०
३	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या-	- ५०
४	ई० सी० सी० ई० केन्द्रों की संख्या	- ६१

➢ उपरोक्त आधार पर प्राथमिक एवं उ०प्रा०वि० में सामन्जस्य बढाने की आवश्कता महसूस की जा रही है, जिसे इस कार्यक्रम के साथ क्रियान्वित किया जायेगा।

➢ अध्यापकों और बच्चों की अलग-अलग कार्यशालाएं कराकर संप्राप्ति एंव गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जायेगा।

➢ संदर्भदाताओं की खोज कर विशिष्ट क्षेत्रों मे सहयोग लिया जायेगा।

१ ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की संख्या :

स्कूल पूर्व शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्तवपूर्ण

भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है। जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो में ६१ केन्द्रों का चयन किया गया है। इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। इन केन्द्रों पर कार्य कत्रियों तथा सहायिकाओं की १५ दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया है। इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बंधित संकुल प्रभारी समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इन केन्द्रों को इनके समीप के प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके संचालित किया जा रहा है। केन्द्र का समय दो घण्टा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई, बहनों की देखभाल से मुक्त विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया जाएगा।

प्रभाव :-

डी०पी०ई०पी० की तरफ से केन्द्रों की कार्यकत्रियों एवं सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण/केन्द्रों के लिए खेल सामग्री उपकरण शिक्षण सामग्री हेतु रूपये ५०००.०० तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रूपये १५००.०० भी प्रदान किया गया है। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यावरण के लिए ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया है। इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है।

१. बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़ा है।
२. बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।
३. बच्चों के ठहराव में विकास हुआ है।
४. शिक्षा के प्रति बच्चों में रूचि बढ़ी है।
५. जो बच्चे, खासतौर से बालिकाएं छोटे बहन-भाइयों के देख -रेख के कारण विद्यालय नहीं आती थीं, आने लगी हैं।
६. अधिकतम बच्चों को सरल ढंग से सिखाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है।

ग्राम शिक्षा समिति :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा शिक्षोन्नयन को स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष

ग्राम प्रधान होता है। तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों को जोड़ा गया है। समिति का सचिव सदस्य परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रधानाध्यापक होता है। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण विद्यालय के अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है। शिक्षा मित्रों के चयन का कार्य भी करती है। डी०पी०ई०पी० जनपद संत कबीर नगर में डायट के नेतृत्व में बी० आर०जी० को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान द्वारा ७० प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह डी०आर०जी० का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों को स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी, संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मलित हैं। डी०आर०जी० के सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया। तथा इस क्रम में डी०आर०जी० के सदस्यों की क्षमता के पुनः उपयोग की आवश्यकता है।

डायट स्तर पर प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों की एक बैठक कराकर उनकी सहभागिता की समीक्षा की जाएगी।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताएं चिन्हित की जाएंगी।

बी०आर०सी० स्तर पर अध्यापकों, बच्चों, और समुदाय के लोगों को विद्यालय के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा।

ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर आयोजित किये गये जो निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित हैं:-

१. प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।

२. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

३. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण।

४. प्रतिभागिता उपागम, खेल, केश स्टडी, सम्प्रेषण अभ्यास। जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक, क्रियाशील बनाने एवं विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु। विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा प्लानिंग अभ्यास भी किए गये तथा

इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाएं तैयार की गयी। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर सुरक्षित की गयी है तथा उसका क्रियान्वयन किया गया है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारण की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन एंव विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। वर्तमान में शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान तमाम शिक्षा समिति संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है। जिनमे सूक्ष्म नियोजन एंव विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण एंव विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों से समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। स्कूल के क्रिया कलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण मे सुविधा हुई है। तथा स्कूल न आने वाले बच्चों (खासकर लड़कियों के नामांकन मे लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

मध्य स्तरीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि लगभग 55 प्रतिशत विद्यालयों मे ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठको का आयोजन होता है।

समुदाय की भागीदारी बढाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो पर विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगो को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावको को आमन्त्रित किया जा सकता है। शिक्षण के समय तथा प्राशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा मे शिक्षण देखने के लिये आमन्त्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर बच्चों की शिक्षा मे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों के जागरुक होने पर बच्चों का विद्यालय में मूल्यांकन नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने मे सहयोग मिलता है। यदि माता पिता शिक्षित है। या परिवार के अन्य सदस्य भाई बहन शिक्षित हैं तो उनसे भी गृह कार्य करने मे मदद मिलती है। छोटे कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों मे अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिकांश अभिभावक कम पढ़े-लिखे या निरक्षर हैं और कृषि

वार्य मे लगें होते हैं। ऐसी स्थिति में ही बच्चों की शिक्षा मे सहयोग नही दे पाते हैं और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों मे परिषदीय विद्यालयों मे अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। उनके माता पिता व अभिभावक अधिकांशतः मजदूर का कार्य करते हैं तथा स्वंय भी शिक्षित भी नही होते हैं। इसीलिये इनके बच्चों को भी शिक्षा मे कोई सहयोग नही मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे परिषदीय विद्यालयों मे केवल अध्यापक का एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को अनुसमर्थन की व्यवस्थाः-

शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर मे वृद्धि करने, गुणवत्ता विकास करने कक्षा के प्रक्रिया मे बदलाव लाने की महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की है। डायट बस्ती के नेतृत्व मे शिक्षक की क्षमता बढ़ाने उनके विषय वस्तु ज्ञान मे अभिवृद्धि एंव शिक्षण कौशलों मे बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनाई गई हैं। डी०पी०ई०पी० के पूर्व कार्यक्रम मे जो कठिनाइयां अनुभव की गई,वे निम्न प्रकार हैं:-

१ शिक्षक के अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी विषय वस्तु जुड़ी हुई न होकर समान थी जिससे कक्षा की वास्तविक प्रक्रियाओं से जुड़ने मे कठिनाई का अनुभव हुआ।

२ शिक्षण मे प्रतिवर्ष लगभग सभी शिक्षकों को सम्मिलित नही किया गया क्योंकि अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने मे कुछ कठिनाई हुई।

३ पुराने अध्यापको मे यह धारणा है कि इस विधि से शिक्षण कार्य करने मे कठिनाई होती है।

४ अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु ठण्ण्ठ को वल प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। इन अनुभव के आधार पर परिषदीय विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों, नव नियुक्त अध्यापको को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रति वर्ष सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये गये। विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण बेसिक शिक्षा अधिकारी. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट के प्रवक्ता मेन्टर एंव प्राचार्य द्वारा किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी०

आर० सी० समन्वयको, न्याय पंचायत स्तर पर संकुल प्रभारियों की व्यवस्था है। प्रति माह विद्यालयों का श्रेणीकरण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण संकुल प्रभारियों द्वारा किया जाता है। प्रति माह बी० आर० सी० समन्यकों एंव डायट के मेन्टरों जो ब्लाक प्रभारी हैं, के द्वारा तथा प्राचार्य डायट द्वारा भी विद्यालयों का श्रेणीकरण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण किया जाता है एंव शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं। ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयको के लिए भी आवश्यक निर्देश व समाधान सुलझाये जाते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था है परन्तु इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु शैक्षिक अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट स्तर पर डायट के सदस्यों, बी०आर०सी० समन्यवकों, संकुल प्रभारियों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी, विद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जनपद में स्कूलों की श्रेणी करण के अनुसार स्थिति निम्न है-

जनपद संत कबीर नगर में विद्यालयों की श्रेणीकरण की तालिका

स०	विकास खण्ड का नाम	प्रा० विद्यालयों की संख्या	श्रेणी				पर्यवेक्षक/ डायटमेन्टर
				बी	सी	डी	
१.	खलीलाबाद	११७	०३	५१	६३	०	
२.	बघौली	१०१	०२	५४	४५	०	

३.	सेमरियावां	१०३	02	२९	७२	०	
४.	हैंसर	१३६	02	४६	८८	०	
५.	नाथनगर	११५	03	४२	७०	०	
६.	मेंहदावल	८९	02	४३	४४	०	
७.	बेलहर	४०	02	१४	२४	०	
	योग	७०१	16	२७९	४०६	०	

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय,संत कबीर नगर

उपरोक्त श्रेणीकरण व्यवस्था अधिकांशतया भौतिक वातावरण पर आधारित है। इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता है जिससे सीखने-सिखाने में और अधिक प्रगति हो। विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो कठिनाई सामने आती है उसका समाधान मासिक बैठकों/कार्यशालाओं में कराया जाता है। कुछ अन्य नवाचार कराने की आवश्यकता है जिससे सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके।

जनपद स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का विवरण

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत कुल ५ प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था थी। अभी तक शिक्षकों को तीन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा द्वितीय और तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया गया। जिनकी व्यवस्था ब्लाक समन्यवकों द्वारा की गयी है।

प्रथम चक्र के प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों का चयन प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित किया गया। प्रथम वर्ष में टी०ओ०टी० का प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया है। प्रथम चक्र प्रशिक्षण १० दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था जो शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् थे-

1. शिक्षकों को अपने दायित्यों के प्रति जागरूक रहने हेतु अभिप्रेरित करना।
2. सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाईयों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना।
4. कक्षा का वतारण जिज्ञासापूर्ण बनाना।
5. सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण कार्य में रोचकता लाना।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण एवं तृतीय चक्र प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के द्वारा किया गया तथा उनका टी०ओ०टी० प्रशिक्षण डायट बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में दिया गया। द्वितीय चक्र प्रशिक्षण सबल प्राथमिक स्तर पर वर्ष १९९९-२००० में सम्पन्न कराया गया जो ८ दिवसीय गैर आवासीय था यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर प्रदान किया गया। जिसकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न थे-

1. विषय वस्तु आधारित शिक्षण।
2. दक्षता आधारित शिक्षण पर बल।
3. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी।
4. विषयों/पाठों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।
5. अवधाराणात्मक दक्षता वृद्धि करना।

मई २००१ से तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक समन्वयकों द्वारा अपने-अपने विकास क्षेत्रों में कराया गया। यह प्रशिक्षण साधन नाम के माड्यूल द्वारा सम्पन्न कराया गया। यह प्रशिक्षण बी०आर०सी० भवन तैयार न होने के कारण प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सम्पन्न कराया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न थे-

1. नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण।
2. कक्षा शिक्षण, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण।
3. बहु कक्षा शिक्षण एवं समय प्रबन्धन।
4. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना।
5. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधियां।

उच्च प्राथमिक स्तर

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन शिक्षकों के लिए विशेष कर प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरणः-

क्र०	शैक्षिक योग्यता	प्रथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
१०	शिक्षकों की कुल संख्या	१३४३	४२२
२०	हाई स्कूल से कम योग्यता वाले शिक्षकों की संख्या	१८	००
३०	केवल हाई स्कूल उर्त्तीण शिक्षकों की संख्या	२८८	०२
४०	केवल इण्टर मीडियट उर्त्तीण शिक्षकों की सं० अप्रशिक्षित	३१	००
५०	केवल इण्टर मीडियट उर्त्तीण शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित	६३५	२३७
६०	स्नातक (अप्रशिक्षित)	१०	००
७०	स्नातक (प्रशिक्षित)	२६२	१११

८^प	स्नातकोत्तर (अप्रशिक्षित)	०१	००
६^प	स्नातकोत्तर (प्रशिक्षित)	६८	७०

स्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, संत कबीर नगर

सारणी से स्पष्ट होता है कि १८ शिक्षक हाई स्कूल से कम हैं जिन्हें विभिन्न विषियों वस्तु का ज्ञान देना नितान्त आवश्यक है । शिक्षकों में ४२ शिक्षक अप्रशिक्षित हैं जिन्हें बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षण विधियों की जानकारी तथा अन्य तकनीकी जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

सारणी जनपद-संत कबीर नगर

क्र०सं०	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च पा० स्तर
१	५ वर्ष से कम	३१०	२७
२	५ वर्ष से १० वर्ष तक	३५६	५५
३	१० से १५ वर्ष तक	६५	३२
४	१५ से २० वर्ष तक	१७२	४४
५	२० से २५ वर्ष तक	१००	४३
६	२५ से ३० वर्ष तक	२०६	८१
७	३० वर्ष से अधिक	१०४	१४०
	योग :-	१३४३	४२२

सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद में प्रा० वि० में ३१० शिक्षक ५ वर्ष से कम अनुभव वाले है जिन्हें छोटे बच्चो के लिए नई शिक्षण विधाओं, बहुकक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारणी, समय प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी देने की आवश्यकता है। सारिर्णी के अनुसार जनपद में ३१० शिक्षक २५ वर्ष या इससे

अधिक सेवा अवधि वाले हैं । इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने की जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

उच्च प्रा०वि० में भी सारिणी देखने पर पता चलता है कि २ शिक्षक हाईस्कूल की योग्यता वाले है। इन्हे भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयों की नवीन जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

५ वर्ष या इससे कम शिक्षण अनुभव वाले २५ अध्यापक हैं तथा २२१ शिक्षक २५ वर्ष से अधिक सेवा वाले हैं इस सभी शिक्षकों की कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है। योग्य अध्यापकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है विद्यालय भवन विद्यालय परिसर एवं आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनानें के लिए शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कक्षा की दीवारों पर वर्णमाला, अंक ज्ञान, चार्ट, कहानी चित्रण आदि बनावाने/प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं जो उद्देश्य लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ठीक था।

प्रशिक्षण के संचालन की व्यवस्था एवं अनुश्रवण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर बी०आर०सी० समन्वयक एवं सह समन्यवक तथा संकुल स्तर पर एक संकुल प्रभारी का चयन/पदस्थापन किया गया है जो मूलतः शिक्षक ही है । इनको निम्न विन्दुओं पर ५ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया है।

1- समर्थन माडयूल पर आधरित बी०आर०सी०के० कार्य एवं दायित्व।

2- अकादमिक पर्यवेक्षण सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

बी०आर०सी० समन्यवकों, सह समन्यवकों तथा संकुल समन्वयकों के द्वारा विद्यालयों का भ्रमण आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण तथा विद्यालयों का श्रेणी करण मासिक बैठकों का आयोजन तथा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शिक्षण सामग्री मेलों आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है।

समन्वयकों की भूमिका :-

बी०आर०सी० द्वारा वर्तमान में किये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

1- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठक का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन व विद्यालयों का श्रेणीकरण करते हैं तथा आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण करते हैं। साथ ही सूचनाओं का संकलन कर जिला स्तर पर डायट एवं जिला प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित करते है।
2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिशु शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण एवं सहयोग।
3- ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संकलन करना/तथा विद्यालय अनुश्रवण करते हैं।
4- संकुल का श्रेणीकरण करना तथा उसके क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण।
5- वार्षिक कार्य योजना तथा बजट बनाना।
6- विभागीय कार्यों को कराना एवं सहयोग प्रदान करना।
7- विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं तथा अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण उच्च स्तर से कराना।
8- निर्माणाधीन भवन की देखभाल करना व आवश्यक सुझाव देना।
9- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन नियोजन और संचालन।
10- विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लानिंग) विकास कार्यक्रम, केसस्टडी, मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यो का आयोजन करते हैं।

एन० पी०आर०सी०समन्वयकों की भूमिका :-

न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भवन का निर्माण कराया गया है। जिसका प्रभारी समन्वयक बनाया गया है। एन०पी०आर०सी० समन्वयक विद्यालयों का भ्रमण कर उन्हे श्रेणीबद्ध करते हैं तथा कक्षा में आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण करते हैं। साथ ही साथ जनसमुदाय को प्रेरित करना शिक्षकों का सहयोग प्रदान करना, शिशु शिक्षा केन्द्र, ई०सी०सी०ई० का अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य है-

1- स्कूल चलो अभियान में ग्राम वार ६ से ११ वर्ष के बच्चों को चिन्हित कराना एवं शत् प्रतिशत् नामांकन कराना।

2- ग्राम शिक्षा समिति की बैठक सुनिश्चित कराना तथा माइक्रोप्लानिंग तैयार कराना।

3- विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।

4- शिशु शिक्षा केन्द्रों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान करना।

5- बाल गणना रजिस्टर प्रत्येक विद्यालयों पर तैयार करवाना।

6- बी०आर०सी० पर मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं बी०आर०सी० को सहयोग प्रदान करना।

7- मासिक बैठकों कार्यक्रमों, कार्यशालाओं की समीक्षा करके रिपोर्ट बी०आर०सी० को तथा डायट को प्रेषित करना।

प्रोत्साहन योजनाएं :-

जनपद में ६ से ११ वर्ष तक के समस्त बच्चों को डी०पी०ई०पी० द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी। इनके अतिरिक्त अन्य वर्ग के सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तक वितरित की गयी विद्यालय में छात्रों के ठहराव एवं शत- प्रतिशत नामांकन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। जिससे ग्रामीण अंचल के निर्धन अभिभावकों को भी सहयोग मिला है। विद्यालयों में पोषाहार छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण से नामांकन में वृद्धि हुई है तथा बच्चों का ठहराव भी विद्यालय में बढ़ रहा है। छात्र वृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों, अल्पसंख्यक के समस्त छात्रों एवं पिछड़ी जाति के कक्षा ३,४ व ५ के एक-एक मेधावी बच्चों को दिया जाता है पोषाहार का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रतिमाह मिलता है।

बेस लाइन सर्वेक्षण, एवं मूल्यांकन :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाइन सर्वेक्षण तथा मध्य सत्र सर्वेक्षण २००० में किया गया। इस सर्वेक्षण से बच्चों के सम्प्राप्ति मूल्यांकन की निम्नवत् स्थिति है-

गणित में कक्षा १ के छात्रों की उपलब्धि

	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	२०	६.१२	२०	७.६	४०	६.८
न्यूनतम अधिगम स्तर	३५	१०.७०	३८	१४.६२	७३	१२.४४
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	२०२	६१.७७	१३०	५०	३३२	५६.५६

गणित में कक्षा ४ के छात्रों की उपलब्धि

	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	२५२	६५.३	१८५	६१.५	४३७	६३.६
न्यूनतम अधिगम स्तर	१०२	२६.४	८३	२७.४	१८५	२६.६
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	७	१.८	७	२.३७	१४	२.०

भाषा में कक्षा ४ के छात्रों की उपलब्धि

	बालक	प्रतिशत	बलिका	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	१२८	३३.२	६१	३०.२	२१६	३१.६
न्यूनतम अधिगम स्तर	२२४	५०	१८७	६२.१	४११	५६.६
न्यूनतम अधिकतम स्तर से अधिक	०	०	०	०	०	०

कक्षा एक- गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत	अन्य की बालक तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	६७.५१	६७.६०	६१.८६	६५.६१	७८.१७
मध्यावधि सर्वे	८१.५४	७६.६४	७४.२८	८१.२५	८४.३०
उपलब्धि मे वृद्धि	१४.०३	६.०४	१२.४२	१५.३४	६.१३

भाषा में कक्षा ४ के छात्रों की उपलब्धि

बेस लाइन सर्वे	३८.६६	३७.७०	३६.८२	३६.४६	३८.५४
मध्यावधि सर्वे	४४.८०	४५.५६	४४.१८	४५.५३	४५.८६
उपलब्धि मे वृद्धि	६.१४	७.८६	४.३६	६.०४	७.३५

गणित में कक्षा ४ के छात्रों की उपलब्धि

बेस लाइन सर्वे	३६.७०	३१.२२	३३.२१	२६.११	३२.४२
मध्यावधि सर्वे	३७.६६	३६.५४	३६.७८	३७.६४	३८.७७
उपलब्धिमे वृद्धि	१ १.२६	८ .३२	६.५७	८.५३	६.३५

भाषा में कक्षा १ के छात्रों की उपलब्धि

	सं०	प्रतिशत	सं०	प्रतिशत	योग	
					सं०	प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	३८	११.७	३४	१३.१	७२	१२.०
मध्यावधि सर्वे	४३	१२.७	४२	१६.२	८५	१४.५
उपलब्धिमे वृद्धि	७५	२२.८	६८	२६.२	१४३	२४.४

इस मध्य सत्र मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला है कि ६.१२ प्रतिशत बालक ७०६ प्रतिशत बालिकायें कुल ६.८१ प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके। कक्षा एक मे गणित के १०.७० प्रतिशत बालक १४.०६ को प्रतिशत बालिका १२०४४ प्रतिशत बच्चे ही न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर सके है।

कक्षा चार के भाषा मे ३३.०२ प्रतिशत बालक ३०.०२ प्रतिशत बालिकाये कुल ३१.०६ प्रतिशत न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा चार गणित मे ६५.०३ प्रतिशत बालक ६१.०५ प्रतिशत बालिका कुल ६३.०६ प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सके।

इस प्रकार जो बच्चे विशेषकर भाषा व गणित मे न्यूनतम अधिगम नही प्राप्त कर सके उनके लिये काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

विशेष बच्चो के बारे मे :-

६ से १४ वर्ष के समस्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा प्रथम लक्ष्य है। समाज मे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खेतिहर मजदूर बाल श्रमिक. विकलांग बच्चे मलीन बस्तियों के बच्चे जो अपनी कठिनाइयों के कारण विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके माता पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क करके उनसे बात चीत करके उनकी सोंच मे बदलाव लाना होगा। जिससे, सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। यदि ऐसा नही होता है तो हमारा उददेश्य पूरा नही होगा। इन बच्चों मे अत्म विश्वास जगाने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर/ब्लाक स्तर/संकुल स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलीन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय समय से जोड़ना कठिन है उनके लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इनके पास समय कम होता है इस लिये हम उनको समय सारणी के अनुसार विद्यालय मे नही रख सकते हैं। परिवेश के समय ऐसे बच्चे ६ वर्ष की आयु पार कर चुके होते है। अतः उनका नामांकन कक्षा १ के बजाय उनकी जानकारी के अनुसार अन्य कक्षा मे किये जाने की आवश्यकता है। तथा औपचारिक पाठ्यक्रम ८ वर्ष मे पूर्ण किये जाने के बजाय कम समय मे पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

स्कूलों के कक्षाओं की स्थिति

परिषदीय विद्यालय	एकल विद्यालय	दो अध्यापकीय विद्यालय	तीन अध्यापकीय विद्या०	चार अध्यापकीय या उससे अधिक विद्या०
प्राथमिक स्तर	१६	४६०	८५	१०
उच्च प्रा० स्तर	१०	५२	५३	१५

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के नियुक्ति के उपरान्त एकल की स्थिति समाप्त हो गयी है।

शिक्षको की संख्या सारणी को देखने पर पता चलता है कि जनपद मे २०.५५ प्रतिशत विद्यालय एकल है ४७.५६ प्रतिशत शिक्षक वाले विद्यालय २१.८६ प्रतिशत तीन शिक्षक वाले विद्यालय १० प्रतिशत विद्यालय चार शिक्षक या उससे अधिक वाले हैं।

इस स्थिति में एकल अध्यापक विद्यालय में इस सिथति में, एकल अध्यापक विद्यालय में एक अध्यापक को एक साथ कई विषयों को पढ़ाना पड़ता है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण तृतीय चक्र प्रशिक्षण में दिया गया है एक अध्यापक वाले विद्यालयों पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जा रही है। तथा चयनित लोगों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर चलाया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है किसी-किसी विद्यालय में एक ही अध्यापक कार्यरत है। जिससे वहु कक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है इनको अंग्रेजी, भाषा, गणित, विज्ञान विषयों से सम्बन्धित विशेष अनुस्थापन शिविर प्रशिक्षण डायट पर कराया जा रहा है। उच्च प्राथकमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति करके भेजा जाता है। जिससे वंछित स्तर के योग्य शिक्षक नहीं मिल

पाते हैं एक सामान्य अध्यापक को विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है जिससे शिक्षक गणित, विज्ञान आदि विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं।

सहायक सामग्री के उपयोग से प्रभावी शिक्षण संभव है। परन्तु यह देखा जाता है कि विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग देखने में आ रहा है किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय में इसका प्रयोग कम हो रहा है। विषय वस्तु को मौखिक या श्यामपट् पर बच्चों को समझाया जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है विकास खण्ड स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय को संकुल भवन बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामग्री दी जाएगी या यहीं से ब्लाक के अन्य विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जाएगी।

स्कूल भ्रमण के समय शिक्षकों से बातचीत करने के दौरान अध्यापकों की निम्न कठिनाइयों को महसूस किया जा रहा है।

1- एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है।

2- अध्यापकों को अन्य विभागीय कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे शिक्षण कार्य करने के दिनों का समय कम मिलता है।

3- अभिभावकों का सहयोग प्राप्त न होने के कारण छात्र गृह कार्य नहीं कर पाते हैं। बच्चो को अक्सर घरेलू कार्यो में लगा दिया जाता है।

4- बच्चों को नियमित विद्यालय अभिभावकों द्वारा नहीं भेजा जाता है।

5- अध्यापकों को सम्बन्धित विषयों में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने का ढंग ज्ञात नहीं है। इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

6- अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के कठिन स्तरों का प्रस्तुतीकरण अध्यापक ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है।

7- उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को समझाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह तैयार होकर नहीं आते है।

8- कुछ विषयों पर विशेष कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के अध्यापक न होन के कारण सामान्य अध्यापक को हर विषय पढ़ाना पड़ता है। सामान्य अध्यापक को इन विषयों की जानकारी कम होती है।

9- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सपोर्ट हेतु बी०आर०सी० समन्वयक, संकुल प्रभारी की व्यवस्था है। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। यह व्यस्था समन्वयकों एवं संकुल प्रभारियों द्वारा दी जा सकती है।

विभिन्न ग्रामों में बैठक करने पर पता चला कि समुदाय शिक्षकों से अनेक अपेक्षाएं रखता है। डायट द्वारा सेवा एरिया के २० विद्यालयों में सर्वेक्षण किया गया जिससे प्रतीत हुआ कि प्राथमिक विद्यालयों से/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अभिभावक क्या चाहता है। इस दौरान निम्न विन्दु उभर कर आये-

1- अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय मे पढ़ाना चाहते हैं। परन्तु अध्यापक समय से विद्यालय आयें तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जाय।

2- शिक्षकों को अन्य कार्यों में न लगाया जाय जिससे शिक्षक कार्य प्रभावित न हो।

3- विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा, अच्छे आचरण व व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाय।

4- विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर हैं तथा अपने कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। जिससे बच्चों के शिक्षण कार्य में कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जाय तथा विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था की जाय कि बच्चों को सीखने का अधिक अवसर मिल सके।

एस०एस०ए० के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर मे सार्वभौमीकरण अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है वर्ष २०१० तक ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के सभी बच्चों की जीवनोपयोगी शिक्षा देने का लक्ष्य है। जिससे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करके शिक्षा में गुणात्मक सुधार प्राप्त किया जा सकेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य :-

सभी बच्चों को ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके वर्ष २००७ तक यह लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

सभी बच्चों को कक्षा ८ तक की शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य २०१० तक पूरा किया जायेगा।

६ से १४ वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक केन्द्र। ७४ तथा शिशु शिक्षा घर में शिक्षा से जोड़े जायेगा।

सभी बच्चों, समुदायों और समूहों के बीच का अंतर वर्ष २००७ तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर २०१० तक समाप्त कर लिया जायेगा।

११ से १४ वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव वर्ष २०१० तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

गुणवत्तापरक जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देकर लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। ऐसे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तम शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र 'संकुल तथा विद्यालय के अध्यापकों की सहभागिता होगी, इसके लिए डायट स्तर पर, डायट के सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के सदस्यों, ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों, संकुल समन्वयकों, सहसमन्वयकों की चार दिवसीय 'विजनिंग' कार्य शाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिक्षकों, विद्यालयों, बच्चों की स्थिति में बदलाव लक्ष्यों, कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति, उनमें बदलाव के लक्ष्यों, कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति, उनमे बदलाव के लक्ष्यों, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों आदि के बारे में विजनिंग कार्यशाला के माध्यम से निष्कर्ष एवं सहमति ली जायेगी। शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर, संसाधन केन्द्र स्तर पर,। संसाधन केन्द्र स्तर पर करके सहमति एवं निर्णय लिया जायेगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि ६६ॡ के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार व समान अवधारणायें बन सकें।

वर्ष में एक बार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें उनके दक्षता एवं शिक्षा कौशल मे वृद्धि हो एवं विषय ज्ञान को बढ़ानें के लिए प्रशिक्षण माडयूल बनाया जायेगा। यह प्रशिक्षण उपलब्ध स्तर पर ६ या ८ दिवसीय कराया जायेगा जिसकी व्यवस्था बी०आर०सी० द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यशाला

संकुल स्तर पर भी आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण का जो भी माड्यूल बनेगा वह अध्यापकों के अभिमुखीकरण में सहायक होगा।

डायट में यह प्रशिक्षण, वर्तमान की आवश्यकताओं, बहुकक्षा शिक्षण व शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, शिक्षण समय को बढ़ाना, उच्चतम कक्षाओं के लिए नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित पाठ्य वस्तुओं को प्रभावी ढ़ंग से प्रस्तुत करने हेतु, जो बच्चों को ग्राह्य एवं रोचक हो, के लिए आयोजित किया जायगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण:-

प्रथम वर्ष में प्र०अ०, स०अ०, शिक्षा मित्रों को ८ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पाठ्य पुस्तकों पर केन्द्रित होगा।

इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के बाद कम समय की सुधारात्मक कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

कार्यशाला एवं प्रशिक्षण विवरण :

	संकुल स्तर पर मैटेरियल मेला-	वर्ष में एक दिन
	संकुल स्तर पर विजनिंग कार्यशाला-	वर्ष में पांच दिन
	संकुल स्तर पर एक-एक दिवसीय कार्यशाला सहायक सामग्री निर्माण हेतु जो पाठ्य पुस्तक आधारित होगा-	(माह में एक तथा वर्ष में १० दिन)
	बी०आर०सी० स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप एवं एन०पी०आर०सी० की मासिक बैठक में प्रशिक्षण, कार्यशाला जिसमें आदर्श पाठ अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।	

प्रशिक्षण का कार्य एवं एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा तथा वर्ष के ५ (पांच) महीनों मे आयोजित किया जायेगा। संकुल स्तर पर कार्यशाला/प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन रूपया ७०.०० की दर से अनुमानित व्यय रू०३४.८७ प्रस्तावित है।

दूसरे वर्ष में इसी प्रकार गणित तथा भाषा विषयों को विषय वस्तु आधारित तथा बहु कक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित है जो शिक्षण आयोजित किया जाएगा, जो ७ दिवसीय होगा। प्रशिक्षण के बाद इसी प्रशिक्षण के बाद इसी तारतम्य

में लघु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

प्रथम वर्ष २००२.०३ के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों पर सहायक सामग्री निर्माण, समय प्राविधान, बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण आदि बिन्दुओं पर ब्लाक संसाधन के प्रस्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा को उपयोग में लाते हुये संकुल स्तर पर ७ दिनों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमे ब्लाक संसाधन केन्द्र के स्तर पर हुये कार्यो के प्रशिक्षण के फलस्वरूप को ध्यान में रखा जायेगा।

संकुल स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीति, सामग्री प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष २००३.०४ में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रू० ७० प्रति दिन की दर से ३४.८७ लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष २००४.०५ में विज्ञान, सा० विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे। साथ ही साथ उपलब्ध एक संकुल स्तर पर अन्य प्रकार के भी प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे जो ८ दिवसीय होंगे विवरण निम्न प्रकार से हैं-

विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, सामग्री निर्माण तथा पाठ के प्रस्तुतीकरण हेतु ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु बी०आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशाल आयोजित किया जायेगा जो तीन दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा के आधार पर बी०आर०सी० स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी , जो सत्र के प्रारम्भ में ५ माह में सम्पन्न करा ली जायेंगी। चतुर्थ वर्ष में सामग्री निर्माण उपयोग तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केन्द्रित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

साथ ही साथ संकुल स्तर पर अन्य प्रकार के भी प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो ५ दिवसीय होंगे। जिसका विवरण निम्नप्रकार से हैं-

गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण तथा सामग्री निर्माण हेतु संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो तीन दिवसीय होगा।

अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु संकुल स्तर पर सभी अध्यापकों के लिये कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग हेतु संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो दो दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किए गये एजेन्डा के आधार पर संकुल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। जिसका मुख्य बिन्दु प्रशिक्षण का फालोअप होगा। यह मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें सात महीनो में आयोजित की जायेंगी।

इन प्रशिक्षणों में प्रतिभागी, कार्यशालायें रू० ७० प्रतिदिन की दर से रूपये ३६.३५ लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष २००५-०६ में शिक्षकों के लिए पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अभिप्रेरण मुख्य बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूप रेखा तथा विषय वस्तु का निर्धारण आदि की चर्चा करके सहमति ली जायेगी। जो ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर किया जायेगा। प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रूपया ७० की दर से अनुमानित व्यय रू० ३६.८३ लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है-

अंग्रेजी एवं संस्कृत विषयों पर सामग्री निर्माण एवं शिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के एक-एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा जो ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर पांच दिवसीय होगा।

जिन विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन अध्यापकों के लिए विषय वस्तु से आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा।

जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडियट तथा उससे कम है इन अध्यापकों के लिए विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा।

जिन अध्यापकों का शिक्षण अनुभव १५ से २० वर्षो से अधिक है। उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जो छः दिवसीय होगा।

डायट स्तर पर नव नियुक्त अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं जो नियुक्त होते रहेंगे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो दस दिवसीय होंगे।

प्राथमिक विधालयों मे पदोन्नति प्राप्त कर प्रधान अध्यापक पद पर कार्य करने वाले तथा अन्य प्रधानाध्यापकों का विधालय अभिलेख के रख रखाव नेतृत्व, समय

प्रावधान, स्कूल पर्यवेक्षण आदि से समबन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो पांच दिवसीय होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के क्रियाओं का प्रशिक्षण :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की कार्य व्यवस्था नहीं है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों जो हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज में छः से आठ माह तक की कक्षाएं पढ़ाते हैं। उन अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्य-वस्तु का अधिक महत्व है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में वृद्धि की आवश्यकता है इस आधार पर उच्च प्रा०वि० स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित किए जायेंगे निम्न प्रकार से हैं-

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण, विषय वस्तु, आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा जो विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ का प्रस्तुतीकरण, पाठयोजना से सम्बन्धित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तीन दिवसीय होगा।

संकुल स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर १ दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो वर्ष के छः माह में होगा। एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें अध्याकपकों द्वारा निर्मित सहायक सामग्री प्रदर्शित की जायगी। जो संकुल स्तर पर होगा साथ ही साथ ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर भी एक दिवसीय मटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षका प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी ७० रू० प्रतिदिन की दर से रूपये ६०३.७५ हजार अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष मे शिक्षकों को गणित विषय से सम्बन्धित, विषय, वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग हेतु प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा जो ब्लाक स्तर पर ७ दिन का होगा। इसी क्रम में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों का प्रस्तुतीकरण पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायगा तो ३ दिवसीय होगा।

डायट द्वारा तैयार किए गये एजेन्डा के आधार पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम हेतु संकुल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिनका आयोजन वर्ष के ६ माहों में सुनिश्चित किया जायगा। संकुल स्तर पर एक दिवसीय

गणित मेला का आयोजन किया जायगा जिसमें शिक्षकों द्वारा तैयार की गयी सामग्री का प्रदर्शन किया जायेगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर गणित मेला का आयोजन किया जायगा। जो एक दिवसीय होगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण प्रतिभागी रू० ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रू० ६०६.१५ हजार प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण विधियों तथा विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण किया जायगा जो ६ दिवसीय होगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ का प्रस्तुतीकरण पाठयोजना तथा संबन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 'ब्लाक संसाधन केन्द्र' स्तर पर किया जायगा।

डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डा के आधार पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु संकुल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायगा। जिसका आयोजन वर्ष के ६ वें माह में सुनिश्चित किया जायगा। इसी क्रम में भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र / संकुल स्तर पर २ दिवसीय व १ दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू० ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रूपया ६०६.१५ हजार प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा, जो ८ दिवसीय होगा। इसी क्रम में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जो २ दिवसीय होगा। भाषा शिक्षण हेतु आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुतिकरण भी की जायेगी। साथ ही साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर किया जायगा। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संकुल स्तर पर किया जायेगा। जिसका पर्यवेक्षण डायट स्तर के एवं बी०आर०सी० स्तर के संकाय सदस्य करेंगे। मासिक बैठकें वर्ष के ६ माह में सुनिश्चित की जायगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रणाली सम्बन्धी टेस्ट आइटम हेतु बी०आर०सी० एवं संकुल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जो २ दिवसीय या १ दिवसीय होगा। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में प्रति प्रतिभागी रूपया ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय रूपया ६०६.१५ हजार प्रस्तावित हैं।

पांचवे वर्ष में शिक्षको को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायगा जो ६ दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की रूप रेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीड बैक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और उसी के अनरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिक उपयोग किया जाएगा। पांचवें वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण प्रति प्रतिभागी रूपया ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानित व्यय से ६०६.१५ हजार प्रस्तावित है।

उपरोक्त सभी प्रशिक्षण डायट के निर्देशन एवं देख-रेख में बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त उक्त प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिऐ कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किए जायेंगे जो निम्नवत् हैं-

१ जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-

कक्षाओं वालिकाओं के प्रति व्यवहार में अध्यापकों को परिवर्तन लाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

२ नेतृत्व संबन्धी प्रशिक्षण :-

उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों को नेतृत्व संबन्धी, समय प्रबन्ध एवं विद्यालय प्रवन्धन सम्बंधी डायट/बी०आर०सी स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसका मॉड्यूल सीमैट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा तैयार किया जाएगा।

३ कम्प्यूटर सम्बंधी प्रशिक्षण :-

भावी समय की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को देखते हुयें यह जरूरी है कि बच्चों को कम्प्यूटर की भी शिक्षा दी जाय। इसके लिए प्रथम वर्ष में डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड में कल आठ उच्च विद्यालयों को

चिन्हित कर कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर के सदस्यों को एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अध्यापकों को भी डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉड्यूल का विकास राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद तथा डायट के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विद्यालयों पर छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करेंगे। और इसका पर्यवेक्षण डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर के प्रशिक्षित सदस्य करेंगे। कार्यक्रम सफलता के आधार पर इसका विकास अगले वर्ष में और किया जाएगा।

अन्य प्रशिक्षण :-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगें, जो निम्न प्रकार से हैं-

(अ) शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण :-

डायट स्तर पर ६१४ शिक्षा मित्र और १४२ आचार्य जी का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है और वर्तमान में प्रशिक्षण चल भी रहा है। ज्यों-ज्यों शिक्षा मित्र/आचार्य जी चयनित होते रहेंगे उनका प्रशिक्षण डायट स्तर पर होता रहेगा। साथ ही साथ आगे भी प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त १५ दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी शिक्षा मित्र एवं आचार्य जी का चलाया जाएगा।

(ब) वैकल्पिक शिक्षा :-

प्रतिवर्ष डायट स्तर/बी०आर०सी० स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का १५ दिन का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त १० दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल डायट व राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद के सहयोग से जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण बी०आर०सी० समन्वयकों/संकुल प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। पर्यवेक्षण हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए प्रति दो वर्ष के बाद बी०आर०सी० समन्वयक/संकुल प्रभारी का ३ दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

(स) ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्रियों व सहायिका का

प्रशिक्षण :-

ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्रियों व सहायिका को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टिकोण से १५ दिन का प्रशिक्षण डायट/बी०आर०सी० में आयोजित किया जाएगा। जिसमें केन्द्रों की कार्यकत्रियां सहायिका एवं संकुल प्रभारी प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण का मॉडूयूल सीमैट इलाहाबाद द्वारा विकसित उपयोग में लाया जाएगा। केन्द्रों के कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण का मॉडूयूल १६६७ में राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा विकसित किया गया था। परन्तु वर्तमान में आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से आधार शिला भाग १ व २ प्रशिक्षण मॉडूयूल का विकास किया गया था। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न होंगे-

बच्चों की देख-भाल को प्रोत्साहन करने समुदाय का संवेदीकरण व सहयोग प्राप्त करने, स्कूल रेडीनेस, ३ से ६ वर्ष के बच्चों में शारीरिक व भाषायी विकास करने की क्षमता, बच्चों में संज्ञानात्मक, संवेदात्मक, सृजनात्मक, अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। इस प्रशिक्षण का ४० प्रतिशत समय खेल सामग्री, शिक्षण सामग्री के विकास में लगाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि ८ दिन का होगा जिसमें ५ केन्द्रो का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस मॉडूयूल का प्रयोग आगामी ४.५ वर्ष तक किया जाएगा तथा इसकी समीक्षा भी की जाएगी।

ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों एव संकुल प्रभारियों का प्रशिक्षण:-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्रा० वि० को ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों संकुल प्रभारी द्वारा सहयोग एंव पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्रा०वि०मा० प्राप्त उ०प्रा०वि० हाई स्कूल व इण्टर कालेज के ६ से ८ तक के कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षको को अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इसके लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों संकुल प्रभारी के क्षमता की विकास करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से बी०आर०सी० समन्वयक संकुल प्रभारी का उनके कार्य के प्रति दायित्व अकादमिक पर्यवेक्षण क्षमता बढ़ाने के संदर्भ मे ७ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

इस मॉडूयूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है परन्तु जनपद की आवश्यकता के अनुसार इसमे संशोधन कर उपयोग किया जायेगा। सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण बी०आर०सी० समन्वयक एंव संकुल प्रभारी भी प्राप्त करेगे साथ ही साथ शिक्षा मित्र आचार्य जी वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशक व ई०सी०सी०ई० कार्य कत्रियों, शिक्षा गारन्टी योजना के अर्न्गत अनुदेशकों के पर्यवेक्षण हेतु विकास किये

गये मॉड्यूल के आधार पर भी इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे ब्लाक संसाधन केन्द्र, समन्वयक एवं संकुल प्रभारी बेहतर अनुभव कर सकें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रशिक्षणः-

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, नियोजन, क्रियान्यवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु इनके भी प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का विकास सीमैट द्वारा किया गया है। इनके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमैट के सहयोग से डायट स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से होंगे।

प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यक्रमो का अनुश्रवण विद्यालयों ब्लाक संसाधन केन्द्रों, संकुल प्रभारियों, वैकल्पिक केन्द्रों, शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्रों, आदि के अकादमिक पर्यवेक्षणों हेतु आयोजित प्रशिक्षण माइक्रोप्लानिंग, ई०एम०आई०एस० आंकड़ों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षण के प्रति काम करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :-

विद्यालयों के गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, शत-प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन कराने सभी बच्चों की उपस्थिति बनाये रखने, ग्राम शिक्षा योजना को बनाकर उनका क्रियान्वयन करने के दृष्टि कोण से तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजित किया जाएगा। क्योंकि पूर्व प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों में संशोधन हो गया है। इसमें जागरूक अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष में इसका शुरूआत किया जाएगा। प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर से डी०पी०ई०पी० के अर्न्गत किया गया है परन्तु आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान में संशोधित / परिवर्तित करके प्रयोग किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण मे निम्न लोग प्रतिभाग करेंगे-

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं महिला सदस्य।

युवक मंगल दल के सदस्य।

मॉड्यूल कलस्टर चयनित क्षेत्रों के समुदायिक सहभागिता में और अधिक बढ़ावा देने हेतु महिला अभिप्रेरक समूह, माता संघ एवं पिता संघ तथा अभिभावक, अध्यापक संघ को प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोरटीम के सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप सूक्ष्म नियोजन स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। और विद्यालय सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित

करके उन्हे स्कूल ले जाने का प्रयास किया जाता है तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से विद्यालयों मे अध्यापकों का उत्तर दायित्व का पालन सुनिश्चित होता है। जिससे बच्चों मे शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ती है।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सीमैट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध मे जनपदीय टीम को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना:-

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं व बी०आर०सी० समन्वयको, संकुल प्रभारियो द्वारा भ्रमण किए जाने पर यह अध्ययन किया गया कि प्रथमिक विद्यालयों मे समय सारिणी का प्रयोग अधिकांशतः नही किया जाता है। वर्ष में जनपद मे कुल २२० दिन कार्य दिवस के लिए विद्यालय खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। जिसमे १८३ दिन शिक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय मे तथा १८० दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षण के लिए उपलब्ध रहा।

जनपद - संत कबीर नगर

कुल दिवस	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
शिक्षण दिवस	१८३	१८०
परीक्षा	६	१०
अन्य कार्य	१०	१२
नष्ट हो जाने वाले दिन	८	८
समुदाय से सम्पर्क	१०	१०

योग	२२०	२२०

सारिणी

विषय	प्राथमिक स्तर बादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर बादन/समय
भाषा 1. हिन्दी	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ८	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ८
भाषा २. अंग्रेजी	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ४	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ६
भाषा ३. संस्कृत	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ३	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ५
विज्ञान	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ४	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ६
गणित	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ८	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग 10
सामाजिक विज्ञान	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ४	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ६
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ५	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ४
कला शिक्षण	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ४	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ३
अन्य प्रा०शि०शारीरिक शिक्षा	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग ६	
कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन	प्रति घ० ४० मि० त्र ४० ग २	

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने हेतु १८३ दिन ही उपलब्ध हो पाये हैं। जबकि विभाग द्वारा २२० दिन कार्य करने का निर्देश है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत २२० दिन कार्य दिवस सुनिश्चित किया जायेगा। परीक्षा, समुदाय के साथ सम्पर्क तथा अन्य कार्यों मे जो समय लगता है उन्हे बचाने का प्रयास करके शिक्षण दिवस २२० दिन कार्य करने का समय उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्य सामग्री. डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत नवीन पाठ्यपुस्तकों को विद्यालयो मे जुलाई, २००० से लागू किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत २००५ तक इन पाठ्यपुस्तकों को जारी रखा जायेगा। इसके बाद राज्य शैक्षिक एंव प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्य पुस्तको मे यथा स्थान संशोधन करने पर पुनः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मे वितरित की जायेगी। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएं जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित की गयी थी। उन्हें सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एक-एक सेट दिया जा चुका है। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा १ से ५ तक संसोधित पाठ्य क्रम जनवरी २००० में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किये जा चुके है। यह पाठ्य पुस्तक राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों शिक्षकों बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से विकसित की जा रही है। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष २००१-२००२ में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित करके वितरित की गयी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति व जन-जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्रीः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्य करने में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जाएगी। जिससे किशोरी बालिकाओं की जीवन में उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार हो सके इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिकाः-

आकादमिक नेतृत्व प्रदान करनाः-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। गुणवत्ता विकास हेतु जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजना विकसित की जाएगी। डायट स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र संकुल स्तर पर अभिकर्मियों के लिए नियोजन क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु कार्य श्रेणियों का संचालन मूल्यांकन अनुश्रवण सामाजिक विकास ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि का डायट स्तर पर प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा निर्वाह किया

जाएगा इन सभी कार्यकलापों का लक्ष्य होगा कि डायट शिक्षकों का कार्य स्थल पर सहयोग समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता सम्बर्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी।

क्षमता विकास करनाः-

डायट की महत्व पूर्ण भूमिका जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना है प्राथमिक तथा उ०प्रा० के शिक्षकों की विषय वस्तु पर शिक्षण विधि आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं संकुल प्रभारी के अनुश्रवण पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना वैकल्पिक शिक्षा, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों को पूर्ण करने हेतु डायट की क्षमता विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को

लागू किया जाएगा इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वंय सेवी संगठनों से सम्पर्क भी किया जाएगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध मूल्यांकन का उपयोगी कार्यक्रम क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जाएगा। डायट द्वारा ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों बी०आर०सी० समन्वयक व संकुल प्रभारी के क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण चलाए जाएंगे। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के प्रवक्ताओं, सदस्यों को अर्थ व्यवस्थित करके क्षमता में विकास किया जाएगा। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों से लाभ उठाकर डायट के सन्दर्भ सदस्य हेतु व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जाएगा। साथ ही साथ नेतृत्व, प्रबन्धन एवं नियोजन तथा शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जाएगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह सुदृढ़ीकरणः-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता सम्बर्धन, कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्यवन तथा अनुश्रवण करने के गुणवत्ता विकास का विशलेषण करके उनका समाधान करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह का गठन किया जाएगा जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विधि योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक समूह के क्षमता विकास के पूर्व उच्च स्तर पर अकादमिक क्षमता विकास करने की गरज से हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज के शिक्षक को जोड़ा जाएगा तथा इनकी क्षमता सम्बर्धन हेतु राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद के सहयोग से क्षमता विकास प्रशिक्षण/कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये कार्यशालाएं

मुख्य रूप से अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण, स्कूल का प्रबन्धन, शिक्षकों की समस्याओं के निवारण आदि बिन्दुओं पर होगी। यह कार्यशाला प्रत्येक वर्ष ५ दिवसीय होगा।

गुणवत्ता सुधार में स्वंय सेवी संगठनो की सहभागिताः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं अथवा स्वैक्षिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है उनका सहयोग डायट की क्षमता विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर बी०आर०सी० समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने हेतु उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवों व ख्याति प्राप्ति स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति के स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन किया जाएगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षणः-

डायट स्तर पर प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर के उपयोग की जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि संस्थान में नियोजन तथा अनुश्रवण में भी कम्प्यूटर की सहभागिता कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, ई०एम०आई०एस० आंकड़ो का विशलेषण, सामग्री विकास तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का निर्वाह डायट स्तर पर किया जाएगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करनाः-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत अध्यापकों को ५०० रूपया प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री के निर्माण हेतु दिया जा रहा है। शिक्षक इससे चार्ट, नक्शा अन्य सहायक सामग्री उपयोगिता के अनुसार क्रय/निर्माण कर सकते हैं विशेष कर विज्ञान एवं गणित के उपयोगी सहायक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं विषय आधारित तथा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग के लिए इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए सर्वशिक्षा अभियान योजना में भी शिक्षक अनुदान रूपया ५०० प्रति अध्यापक प्रति वर्ष जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड आपरेशन योजना में उपलब्ध कराये गये

विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसको प्रभावी बनाने हेतु पूर्व की भांति मैटीरियल मेले का आयोजन किया जाएगा। सहायक सामग्री निर्माण एवं क्रय के सामग्री की प्रदर्शनी संकुल स्तर, बी०आर०सी० स्तर पर डायट स्तर पर लगाई जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास होगा।

कार्यशाला/गोष्ठियों का आयोजन :-

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत संकुल स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित की जाती है जो पूर्णतया सहायक सामग्री निर्माण पर आधारित है। प्राथमिक विद्यालय के विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां डायट स्तर/ बी०आर०सी० स्तर पर की जाएंगी। बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त सामग्री निर्माण का कार्य एवं आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। यह कार्य डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत होता आ रहा है। इसलिए ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई के मासिक बैठक में इन संगोष्ठियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु डायट स्तर, बी०आर०सी० स्तर, संकुल स्तर पर बनने वाले वार्षिक कार्ययोजनाओं के आधार पर गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुख्यतया शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कठिनाइयों के निस्तारण, आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यशाला /संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

१ बच्चों के समप्राप्ति स्तर के आँकड़ों का शेयरिंग।

२ अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण।

३ स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कहानी, कविता आदि का संकलन।

४ छात्र-छात्राओं के अधिगम समप्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आईटम का निर्माण।

५ विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।

शोध एवं मूल्यांकन :-

जनपद की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। संस्थान निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न विषयों के पाठक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रवन्धन, मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन करके व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारण हेतु क्रियात्मक

शोध करेगा। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं शिक्षक प्रशिक्षक समन्वयक निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों को, समन्यवकों का, ऐक्सन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमैट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा।

ऐक्शन रिसर्च के लिए अध्यापकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। अध्यापक डायट के नेतृत्व में ऐक्शन रिसर्च हेतु अपनी योजना का निर्माण करके कार्यान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतया ऐक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करना तथा योजना को सुचारू रूप से क्रियान्यवन कर पूर्ण करना है।

शिक्षकों की शिक्षा क्षमता का अध्ययन तथा मूल्यांकन डायट द्वारा किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम आवजरवेशन स्टडी की जाएगी।

एक्शन रिसर्च :-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने के लिए अध्यापकों में क्षमता वृद्धि करने के ५ दिवसीय कार्यशाला सीमैट इलाहाबाद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। बी०आर०सी० समन्वयक संकुल प्रभारी समस्याओं को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जायेगा। शिक्षक अपनी समस्यओं के निदान के लिए स्वंय अपनी कार्य योजना बनायें और कामयाबी पाने का तरीका खोजें इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया से उच्च स्तर से विद्यालय तक ले जाया जाएगा। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया संकुल स्तर से विद्यालय तक ले लिया जाएगा। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित बिन्दु निम्न हैं -

’ शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्यवन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

’ शिक्षक अनुदान रूपया ५०० का सार्थक सदुपयोग किस प्रकार सम्भव है।

’ विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।

’ बहु कक्षा शिक्षण में विभिन्न विपियों का विकास कैसे किया जाएगा।

’ कक्षा के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों का सहयोग कैसे प्रप्त करे।

’ कक्षा की प्रक्रिया में जन समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के तरीके।

’ चिन्हित/खराब विद्यालयों के प्रबन्धन मुद्दे तय करना।

' महिला शिक्षिकाओं का रोल परिवर्तन करने के उपाय।

' कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीकि।

' जिन बच्चों का शैक्षिक सम्प्राप्त कम है उनके कारण जानने का उपाय।

' विद्यालय में समुदाय के सहयोग के अभाव का कारण जानना।

' बच्चों के विद्यालय में कम ठहराव के कारणों को जानने का उपाय।

आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोगः-

प्रत्येक गांव, ब्लाक, विद्यालय की मूल भूत समस्याओं, असवश्यकताओं की जानकारी ई०एम०आई०एस० के आंकड़ों के विश्लेषण से मिलती है। आंकड़ों के विश्लेषण से ब्लाक वार, ग्राम वार, विद्यालय वार, लिंग वार तथा श्रेणी वार छात्रों की जानकारी मिलती है कहां ड्रापआउट बच्चे अधिक हैं इससे उनकी समस्याओं की जानकारी कर सकते हैं।

कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यक्रमों का मूल्यांकन :-

वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली उचित है परन्तु उसमें सुधार की आवश्यकता है डायट के कुशल प्रवक्ताओं/अध्यापकों के सहयोग से कक्षा ५ व कक्षा ८ के परीक्षा का प्रश्न-पत्र तैयार करके एन०पी०आर०सी० स्तर पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तथा मूल्यांकन भी बी०आर०सी० स्तर पर डायट के देख-रेख में कराया जायेगा। छात्रों की उपलब्धि, उनके सतत् मूल्यांकन एवं फीडबैक तैयार करने हेतु मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद द्वारा डायट स्तर पर डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत मूलयांकन सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है। जिसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल भी किया जा रहा है। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा। तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण भी सितम्बर २००१ में आयोजित किया जा चुका है। इस स्तर पर डायट के मेन्टरों बी०आर०सी० समन्वयक तथा ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागियों की प्रशिक्षण सारणी निम्नवत् है-

क्र	कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम	प्रतिभागी	अवधि
१	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र आचार्य जी शिक्षा मित्र आचार्य जी	३० दिन १५ दिन
२	वैकलपिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	०६ दिन
३	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, जिला परियोजना कार्यालय स्टाफ ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक	०४ दिन
४	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चयनित प्रशिक्षक	१० दिन
५	वैकलपिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण- अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	अनुदेशक अनुदेशक	१५ दिन १० दिन
६	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के कार्यकत्री एवं सहायिका का प्रशिक्षण	ई०सी०सी०ई० के केन्द्रों की कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं	१५ दिन
७	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०	०५ दिन
८	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	०७ दिन
९	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी०आर०सी० का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० के सदस्य	०३ दिन

१०.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी०आर०सी० समन्वयक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित प्रशिक्षंक	३० दिन
११.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	विषय से सम्बन्धित एवं सामान्य शिक्षक	१० दिन
१२.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	प्राथमिक विद्यालय में नव नियुक्त सहायक अध्यापक	१० दिन
१३.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	१० दिन
१४.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाल शिक्षक	०५ दिन
१५.	ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ चुने हुए बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी तथा चयनित शिक्षक	०५ दिन
१६.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी तथा चयनित डायट स्टाफ के शिक्षक	०३ दिन
१७.	मैटीरियल मेला सम्बन्धी प्रशिक्षण	चुने हुए अध्यापक	०३ दिन
१८.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी०आर०सी समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	०३ दिन
१९.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी०आर०सी समन्वयक एवं चुने हुए संकुल प्रभारी तथा चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	०५ दिन
२०.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	०३ दिन
२१.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इन्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	०३ दिन
	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक	प्राथमिक एवं उच्च	०३

२२.	कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री का विकास	प्राथमिक, हाई स्कूल, इन्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	दिन
२३.	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	०५ दिन
२४.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटीरियल का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	०५ दिन
२५.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	बी०आर०सी० समन्वयक एवं चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	०२ दिन
२६.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	०३ दिन
२७.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी	०४ दिन
२८.	बाल श्रमको हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	०५ दिन

अकादमिक सुपर वीजन में डायट बी०आर०सी० एवं संकुल की समेकित भूमिका अकादमिक सुपर वीजन में महत्वपूर्ण रहेगी संकुल प्रभारी अपने अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी०आर०सी० समन्वयक को देगा तथा बी०आर०सी० समन्वयक समीक्षा करके अपना प्रतिवेदन डायट को प्रस्तुत करेगा। डायट में एस०आर०जी० एवं चुने हुए बी०आर०सी० सदस्यों के द्वारा मुख्य बिन्दु पर चर्चा करके आगे का एजेण्डा तैयार करेगा। डायट के निर्देशन में समन्वयक व संकुल प्रभारी कार्य करेंगे और डायट अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठक का आयोजन, भ्रमण कार्यों के अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य का विकास करेगा। अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इन्टर कालेज में कक्षा ६ से ८ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकलपिक शिक्षा के अनुदेशकों, ई०सी०सी०ई० के कार्यकत्रियों शिक्षा गारन्टी योजना के आचार्य जी को भी अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाएगा। और बी०आर०सी० समन्वयक एवं संकुल प्रभारी के क्षमता वृद्धि हेतु डायट स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का आशय यह होगा कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चलाए गये अकादमिक पर्यवेक्षण प्रभारी को और अधिक सुदृढ़ एवं सबल बनाया जा सके। बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०, विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का श्रेणी प्राप्त करने वाले संसाधन केन्द्रों, विद्यालयों को उच्च स्तर

प्राप्त करने पर बल दिया जायेगा। डायट के नेतृत्व में बी०आर०सी० समन्वयक गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

’शिक्षको का सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

’ विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

- ई०जी०एस०, वैकलपिक शिक्षा शिशु शिक्षा घर केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- बी०आर०सी० के माध्यम से समुदाय के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं समुदाय की भागीदारी के लिए अनय संस्थाओं एवं विभागों से समन्वय स्थापित करेगा।

’ ई०एम०आई०एस० आंकड़ो का संकलन तथा विश्लेषण।

’ गुणवत्ता विकास हेतु बी०आर०सी० स्तर पर सन्दर्भ समूह विकसित करेंगे।

’ शिक्षक को शोध एवं मूल्यांकन हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।

’ अकादमिक अनुश्रवण का कार्य एवं स्कूल डेवलपमेन्ट पलान का विकास करेंगे।

’ सहायक सामग्री निर्माण हेतु बी०आर०सी० पर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

विभिन्न वर्षो में शिक्षक, शिक्षा मित्र (प्रा० स्तर) एवं शिक्षक (उ०प्रा०स्तर) की स्थिति :-

वर्ष	प्रा० स्तर			उ०प्रा०स्तर शिक्षक	योग प्रा० स्तर एवं उ०प्रा०
	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग		
२००३.०४	२४०२	७९४	३१९६	८६३	३४७९
२००४.०५	२४०६	१०००	३४०६	८६३	४०६०
२००५.०६	२४८१	१०३४	३८६५	८६३	४०६०
२००६.०७	२४६६	१०८९	३५४५	८६३	४०६०

कार्यक्रम सारिणी वर्षवार

आयोजन	सन्दर्भ पत्र	माड्यूल विकास	सन्दर्भ व्यक्ति चयन कार्यशाला	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण स्तर/ प्रतिभागी	प्रशिक्षण अवधि
विजनिंग कार्यशाला	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र	सन्दर्भदाताओं/विशेषज्ञों/शिक्षको से परामर्श कर	शिक्षक/ शिक्षा मित्र	डायट के प्रवक्ता	डायट	शिक्षक प्रशिक्षक/ शिक्षा [illegible]	दिन
ग्राम स्तरीय बैठकें	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र	सन्दर्भ दाताओं/विशेषज्ञों/शिक्षकों से परामर्श कर			डायट	ग्राम प्रधान	दिन
छात्र सभाएं	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र					८-१४वर्ष के छात्र	२ दिन
अभिभावक गोष्ठियां	डायट द्वारा निर्धारित दिक्सूचक चक्र					अभिभावक	१ दिन
आयोजन	सन्दर्भ पत्र	माड्यूल विकास	सन्दर्भ व्यक्ति चयन कार्यशाला	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण स्तर/ प्रतिभागी	प्रशिक्षण अवधि
शिक्षक प्रशिक्षण	अभिप्रेरणा- त मक आवधारणात्मक विषय	डायट द्वारा	डायट	शिक्षक/शिक्षा मित्र डायट प्रवक्ता	डायट/ प्रशिक्षकों हेतु	पू०मा०वि० शिक्षक	८ दिन

	वस्तु आधारित						
प्रशिक्षण	स्थानीय पाठ्यक्रम	डायट द्वारा			डायट	प्राथमिकशिक्षक शिक्षा मित्र	५ दिन
प्रशिक्षण	पाठ्य राष्ट्र भागीय किया कलाप	डायट द्वारा			डायट	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा मित्र	५ दिन
...करण	प्रति वर्ष एक बार	डायट द्वारा					२ दिन
...बाड़ी प्रति ... क्षेत्र	२० केन्द्र चयन प्रति ब्लाक	डायट द्वारा				आगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका	५ दिन

प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों तथा संचार माध्यमों अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन०पी०आर०सी० की भूमिका :-

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेंगे।

शिक्षकों के लिये मासिक प्रशिक्षणों कार्यशालाओं को आयोजित करेंगे।

विधालयों वैकल्पिक शिक्षा ई०सी०सी०ई० तथा ई०जी०एस० केन्द्रों व आकस्मिक पर्यवेक्षण करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति महिला अभिप्रेरक समूह अभिभावक संघ माता शिक्षक स को प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

' ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का संलग्न तथा विश्लेषण करेंगें।

' विद्यालय का अनुश्रवण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण करेंगें।

' शोध एवं मूल्यांकन अध्यन मे अध्यापकों का सहयोग करेंगे।

' स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।

' संकुल प्रभारी अभिभावकों शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक सीट केन्द्र रूप मे अपने आप विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रम :-

डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन समुदाय की बैठक की गयी जिसमें ग्रा शिक्षा समिति स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्

के अभिभावक, ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया जिसमे यह संज्ञान मे आया की जो बच्चे अपने व्यवसाय मे संलग्न होने के कारण विद्यालय मे नहीं जाते हैं। या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है उन्हे पुनः विद्यालय मे लाने के लिए ठहराव बनाये रखने के लिए तथा उन्हे स्वालम्बी बनाने हेतु कौशल विकास के पक्ष में करने के लिए कार्य अनुभव प्रशिक्षण कराए जाने का प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों के लिए उनकी आवश्यकता के लिए फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फूड आबजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका स्तर विद्यालय मे ठहराव बनाये रखने के लिय प्रभावी होगा। इस आधर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को संतकबीर नगर मे नवाचार कार्यक्रम के रुप में संचालित किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद मे सभी विकास खण्डों से इन्हे उच्च प्राथमिक विद्यालयों कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित करके इस योजना में प्रत्येक विद्यालय स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वहां पर बच्चों के कौशल को प्राशिक्षित कर उनमे दक्षता का विकास किया जायेगा। यह कार्यानुभव प्राशिक्षण इस प्रकार से नियोजित किया जायेगा की विद्यालयों में कच्चा माल लाकर उससे सामान तैयार किया जायेगा। उसको बेच करके प्राप्त बचत धनराशि से कुछ अंश बालक, बालिकाओं को पारिश्रमिक के रुप में दिया जायेगा इस प्रकार यह प्रकिया निरन्तर चलती रहेगी उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ०प्रा० विद्यालय में लागू किया जायेगा।

बच्चों के लिये सामग्री विकास :-

बच्चों के लिये पाठ्य-पुस्तक सामग्री निर्माण :-

पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। जिसमें स्थानीय विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों भौगोलिक एवं एतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि दी जा सकती है। बच्चों को स्थानों के महत्व व महान व्यक्तियों के बारे मे जानकारी हेतु इन्हे पाठ्यक्रम में रखा जायेगा। बच्चों को प्रेरणा देने के लिये इसे मेटेरियल विकास में रखने के लिये प्रयास किया जायगा। विषय वस्तु की विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विद्रियों समाजसेवी व्यक्तियों की कार्यशालायें करायी जायेंगी। स्थानीय सहित्यकारों से भी मदद लिया जायेगा।

कक्षा की प्रक्रिया मे समुदाय/अभिभावको की भागीदारी बढ़ाना :-

समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करके प्रयास किया गया है ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित कि

जाने की व्यवस्था है। लेकिन व्यवहारिक रुप में यह देखने मे आता है कि बैठके नियामित रुप से आयोजित नही होती है। और जब आयोजित होती हैं तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही रहती है। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर विचार नही किया जाता है। इनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जायेगा। इसके लिये समुदाय के अध्यापकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने की आवश्यकता है। जिसमे बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो। और बच्चो की शिक्षा पर विद्यालय के साथ-साथ चेयर पर भी ध्यान दिया जाए। समय-समय पर बच्चों के अभिभावकों को उनके शैक्षिक उपलब्धि से भी अवगत कराया जायगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में बच्चों को सम्मानित किया जायगा जिसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृति हो। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यक्रताओं का सहयोग विद्यालय शिक्षण मे मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग मानेगा। यह सोंच विद्यालय की प्रगति विकास मे महत्त्वपूर्ण होगी।।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्बर्धनः-

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	०१	०१	.
उप प्राचार्य	०१	०१	.
वरिष्ठ प्रवक्ता	०६	०१	०५
प्रवक्ता	१७	०५	१२
कार्यानुभव शिक्षक	०१	०१	.
तकनीकी सहायक	०१	०१	.
सांख्यिकी कार	०१	०१	.
प्रति नियुक्ति पर तैनात प्राथमिक	.	.	.
विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	०७	.	.

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरणः-

संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षणों आदि के आयोजन में तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन की सुविधा की ।

दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। संस्थान के सदस्यों को सामेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण लिए जाने की आवश्यकता है।

लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना।

मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।

क्रियात्मक शोध संबन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किए जाने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्थाः

जनपद मे विभिन्न स्तरो पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कायक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा। कार्यक्रमों की सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड न्याय पंचायत तथा शिक्षा समितियों एंव शिक्षकों की महत्तवपूर्ण भूमिका है। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेष कर गुणवत्ता विकास कने हेतु कार्यक्रम को सुचारु रुप से संचालन एंव प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोंण से तहसील ब्लाक तथा संकुल स्तरों पर कार्यरत अभिक्रमियों एंव शिक्षकों मे प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्तम कार्य करने वालो को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

प्रतिवर्ष जनपद मे उत्तम कार्य निस्पादन वाले दो समन्वयक को रुपये १०००० की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड मे एक संकुल प्रभारी को रुपये ७००० की दर से पुरस्कार दिया जायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड मे से कार्य-कुशलता के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रूपया १५००० तथा रूपया १०००० की दर से पुरस्कार दिया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय के विकास कार्यों में करेंगे। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के लिए पठन-पाठन के उत्तम माप दण्ड स्थापित करने की दृष्टि कोण से योग्य शिक्षकों के प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यपक को चिन्हित कर पुरस्कृत किया जाएगा तथा इस हेतु उन्हे रूपया ५००० दिया जाएगा। पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी०आर०सी० समन्वयक, संकुल प्रभरियों व शिक्षकों के ज्ञान का विकास पर किया जाएगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिताः-

विद्यालयों में शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद दिसम्बर एवं वार्षिक परीक्षा के बाद मई में विद्यालय समारोह कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र विकास के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जाएंगे तथा बच्चों की शैक्षिक समप्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित क्रियाकलापों की कार्य योजना

सं.	क्रिया-कलाप	वर्ष २००३.०४		वर्ष २००४.०५		वर्ष २००५.०६		वर्ष २००६.०७	
		अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य	अवधि	लक्ष्य
	प्रशिक्षण								
	सेवारत प्रा०शि०प्रशि०	सि०,अक्टूबर	२४०२	सि०, अक्टूबर	२४०२	सि०,अक्टूबर	४०२	सि०,अक्टूबर	८६०
	सेवारतउ०प्रा०शि०प्रशि०	अक्टूबर,नव०	६३	अक्टू०, नव०	६३	अक्टू०, नव०	६३	अक्टू०, नव०	२६७
	प्रधानाध्यापक के नेतृत्व सम्बर्धन प्रशि०	सितम्बर से नवम्बर	७०१	सितम्बर से नवम्बर	७०१	सितम्बर से नवम्बर	७०१	सितम्बर से नवम्बर	६

अध्याय-१०

परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

यह परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इस की अवधि जनवरी, २००१ से २०१० तक होगी। इस अवधि में ६.१४ आयु वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ०प्र० में सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसके व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि वह अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगा।

संगठनात्मक ढांचा - नीति निर्धारण

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। समिति का गठन निम्नवत् हैं-

१	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
२	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
३	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सचिव
४	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
५	जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
६	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
७	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
८	अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्लू०डी०	सदस्य

९	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
१०	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
११	दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)	सदस्य
१२	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्णमाला क्रम से एक वर्ष के लिए)	सदस्य
१३	दो शिक्षक (राष्ट्रपति/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
१४	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

१. जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :-

(अ) यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति- नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार तथा जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होंगे। प्रवेश, धारण गुणवत्ता संवर्धन तथा निर्माण के लिए तकनीकी, पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण तथा प्रचार-प्रसार के सभी कार्य इसी समिति के द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

(ब) जिला बेसिक शिक्षा समिति :

परियोजना के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थल चयन करने के लिए जिले स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सचिव है।

इस समिति का गठन निम्नवत् हैं-

१	अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
२	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
३	जिले के सभी मा० सांसद, सदस्य विधानसभा एवं विधान	सदस्य

	परिषद	
४	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
५	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
६	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
७	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
८	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
९	दो विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित)	सदस्य
१०	दो सदस्य जिला पंचायत	सदस्य

२. क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

१	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
२	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य, सचिव
३	प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
४	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
५	विकास खण्ड का एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

इस सर्व शिक्षा के अन्तर्गत समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना की समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसरण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एंव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच

सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ- साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप मे कार्य करेगी विद्यालय के विकास सम्बन्धी समस्त कार्य तथा विद्यालय परिसर में सुधार विद्यालय भवनों का निर्माण शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति विद्यालय की स्वच्छता आदि कार्य इसी समिति के देख-रेख में सम्पन्न किया जायेगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नामांकन धारण शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार एंव आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व है।

समिति का स्वरुप निम्नवत है:-

१	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
२	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव
३	तीन अभिभावक जिसमें एक महिला होगी	(स०बे०शि०अधिकारी द्वारा मनोनीत)

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एव दायित्व दोनो हैं। शिक्षा, मित्रों, अनुदेशकों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किये जायेगे। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण पर नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक तन्त्र-

१. जिला परियोजना कार्यालय :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एंव कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन

तथा मार्ग दर्शन मे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य मे जिला बेसिाक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमे आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यलया मे निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे:

१	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी		पदेन जिला परियोजना अधिकारी
२	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी		(ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)प्रभारी
३	समन्वयक	४	
४	रलाहकार	२	रू० १०,००० नियत वेतन प्रतिमाह
५	कम्प्यूटर आपरेटर	१	रू० ७,००० नियत वेतन प्रतिमाह
६	सहायक लेखाधिकारी	१	
७	लिपिक	१	
८	परिचारक	१	

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्वेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे।

कम्प्यूटर :-

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर तथा यू०पी०एस० क्रय किया गया था। कम्प्यूटर पेन्टियम २ होने के कारण कार्य का निस्तारण शीघ्र गति से सम्भव नहीं है। अतः परियोजना कार्यालय के लिए निम्नलिखित प्रकार का एक कम्प्यूटर प्रिन्टर सहित क्रय किये जाने का प्रस्ताव है-

१. कम्प्यूटर (मल्टीमीडिया) पेन्टियम . ४

(i) २५६ एम०बी० रैम

(ii) ८० जी०बी० हार्डडिस्क

(iii) सी०डी० रैम सहित ;क्तपअमद्ध

२. प्रिन्टर लेजर या इंकजेट कलर

३. यू०पी०एस० १००० वाट

४. साफ्टवेयर

(i) विण्डो २००१

(ii) आटो लैड

(iii) टैली - ५

(iv) ओरेकल

(v) एम०एस० आफिस २०००

(vi) जावा

५. १.५ टन ए०सी०

मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में पूर्व से ही ई०एम०आई०एस० स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है किन्तु सिस्टम बहुत पुराना होने के कारण उस पर ई०एम०आई०एस० सम्बन्धित कार्य कराने में कठिनाई को देखते हुए एक नया कम्प्यूटर सिस्टम क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए दो कम्प्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। अनौपचारिक शिक्षा के अनतर्गत जो कम्प्यूटर स्थापित है, उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। पूर्व से स्थापित एम०आई०एस० में उपलब्ध कम्प्यूटर पर विद्यालय सांख्यिकी (ई०एम०आई०एस०) तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, संकुल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उसे भरने संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध है जिस पर प्रति वर्ष वार्षिक विद्यालय स्तर से ३० सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा तथा कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- सकल नामांकन अनुपात, नेट एनरोलमेन्ट रेशियो, ड्राप आउट दर, छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात आदि तथा विश्लेषण आंकड़ों का प्रति वर्ष वार्षिक योजना के निर्माण में कार्यक्रम निर्धारण हेतु उपयोग किया जायेगा। ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ो तथा माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों दोनो का समग्र रूप से विश्लेषण करते हुए स्कूल से बाहर बच्चों का आँकलन किया जायेगा और उनकी शिक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना में कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

२. प्रशासनिक संगठन- ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे-

१ विद्यालय भवनों के निर्माण का र्प्यवेक्षण करना।

२ ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

३ ब्लाक परियोजना समिति की बैठक करना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन

सुनिश्चित करना।

४ ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

५ सभी प्रकार के छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना।

६ खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित करना।

७ विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

८ ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के भी समन्वय स्थापित करना।

९ अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना।

विकास खण्ड में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ई०जी०एस० तथा ए०आई०ई० के संचालन तथा अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे। इन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण तथा कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना समिति को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। जिन विकास खण्डों में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं है, उन विकास खण्डों में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विकास खण्ड कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे। सहायक बेसिक शिक्षा की क्षमता में वृद्धि के लिए मोटर सायकिल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

गुणवत्ता मूल के संगठन :-

(अ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता के सुधार के लिए पैतृक जिला बस्ती में पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे-

१ सन्दर्भ व्यक्तियों को तैयार करना।

२ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा

के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों से अपने स्टाफ से सुसज्जित करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

३ ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना है।

४ जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

५ जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

६ ब्लाक संसाधन केंन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन देना।

७ जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

८ जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

९ न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेसलाइन सर्वे कराना।

१० शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

यद्यपि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता सम्वर्धन किया गया है परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा साथ-साथ उच्च प्रा० शिक्षा को भी सम्मिलित किये जाने के कारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न मदों में धनराशि प्रावधानित की गयी है।

(ब) ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) :

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रो के भवनो का निर्माण कराया जा चुका है। दो नवसृजित विकास खण्ड पौली एवं बेलहर के भवन का प्रस्ताव किया गया। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एंव सुसज्जित किया जा रहा है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन के ऊपर एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया गया है। जो सहायक बेशिक शिक्षा अधिकारी की परियोजना कार्य के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

कार्य एवं दायित्व :

१ अध्यापको को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।

२ विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा सकता है अथवा नहीं।

३ विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

४ ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

५ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप मे कार्य करना।

६ ब्लाक स्तर के अधिकारियों एंव अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एंव शिक्षा के हित मे उसका नियोजन करना।

स) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) :

इस जनपद मे सभी ७७ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ सकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एंव क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

१ न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों को एकेडमिक निरीक्षण करना।

२ अध्यापको की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एंव उसका निराकरण करना।

३ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

४ ग्राम शिक्षा समितियों से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों मे गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

५ न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एंव सूक्ष्म नियोजन।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं. जनपद स्तर **पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों** का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों के **माध्यम से किया** जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के [illegible] केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद **विवाद/ वार्ताओं** के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 में 15 प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 319 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	119	
2005-06	100	
2006-07	85	
योग	304	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - SANT KABIR NAGAR

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC								
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	
2	Furniture,fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting	0	0	6.00	6	36.00	6	36.00	
4	Maintenance of equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	Maintenance of building	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	TLM	0	0	5.00	6	30.00	6	30.00	
7	Contegency	0	0	12.50	6	75.00	6	75.00	
	TOTAL BRC	0	0.00	0.00	18	141.00	18	141.00	
(II)	CRC								
8	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Coordinator @12 for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10	TLM	0	0	1.00	77	77.00	77	77.00	
11	Contegency	0	0	2.50	77	192.50	219	192.50	
12	Meeting & TA	0	0	2.40	77	184.80	77	184.80	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00	0.00	231	454.30	373	454.30	
(III)	CIVIL WORKS								
13	New Primary School	0	0.00	259	81	20979.00	81	20979.00	
14	New Upper Primary School	20	1360.00	280	75	21280.00	96	22640.00	Spill.Handpump
15	Additional Classrooms PS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additional Classrooms UPS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
17	Toilets PS	0	0	10.00	15	150.00	15	150.00	
18	Toilets UPS	0	0	10.00	15	150	15	150.00	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS	0	0	383.00	0	0	0	0.00	
21	Drinking Waters PS	0	0.00	15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS	0	0	15.00	0	0	0	0.00	
23	Repair PS	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS	0	0	70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaning	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	20	1360.00	0	137	42559.00	207	43919.00	
(IV)	EGS @ 0.845x25x130								
	TOTAL EGS	0	0	0.845	142	2999.75	142	2999.75	
(V)	AIE								
31	AIE (P.S.) (0.845x25x65)	0	0	0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30x80)	0	0	1.20	0	0.00	0	0.00	
	Bridge Course at NPRC level (.845x40x77)	0	0	0.85	77	2602.60	77	2602.60	
33	Bridge Course (P.S.) (3x60x3)	0	0	3.00	3	540.00	3	540.00	
		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL AIE	0	0.00	0.00	80	3142.60	80	3142.60	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00	0.00	222	6142.35	222	6142.35	
(VI)	FREE TEXT BOOKS								
34	Free Text Books PS	0	0	0.05	92616	4630.80	92616	4630.80	
35	Free Text Books UPS	0	0	0.15	35915	5387.25	35915	5387.25	
	TOTAL Text Book	0	0.00	0.00	128531	10018.05	128531	10018.05	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	, 0	0.00	1.20	646	775.20	646	775.20	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE								
57	P.S.	0	0.00	5.00	699	3495.00	699	3495.00	
58	U.P.S.	0	0.00	5.00	103	515.00	103	515.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00	0.00	802	4010.00	802	4010.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - SANT KABIR NAGAR

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0	0.00	0.00		1825.00	0	1825.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION								
71	P.S.	0	0.00	1.40	699	978.60	699	978.60	
72	U.P.S.	0	0.00	1.40	103	144.20	103	144.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00	0.00	802	1122.80	802	1122.80	
(XV)	SCHOOL GRANT								
[illegible]	School Improvement Grants PS @ 2	0	0	2.00	719	1438.00	719	1438.00	
[illegible]	School ImprovementGrants UPS @ 2	0	0	2.00	183	366.00	183	366.00	
	Total School Grant	0	0.00	0.00	902	1804.00	902	1804.00	
(XVI)	SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)								
[illegible]	Salary of Asstt Teacher PS	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
[illegible]	Salary of Asstt Teacher UPS	0	0	10.00	60	7200.00	60	7200.00	12 Months
[illegible]	Salary of Additional Teachers PS	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
[illegible]	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	0	0.00	0.00	60	7200.00	60	7200.00	
(XVII)	SALARY GRANT (2003-04)								
[illegible]	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)	0	0	9.00	81	4374.00	81	4374.00	6 Months
[illegible]	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)	0	0	10.00	228	13680.00	228	13680.00	6 Months
[illegible]	Salary of Additional Teachers (PS)	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
[illegible]	Salary of Fresh SM (PS)	0	0	2.25	81	1093.50	81	1093.50	6 Months
	Salary of Fresh SM (PS) [illegible]	0	0	2.25	914	12339.00	914	12339.00	6 Months
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	0	0.00	0.00	1304	31486.50	1304	31486.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	0	0.00	0.00	1364	38686.50	1364	38686.50	
(XVIII)	TEACHER GRANT (TLM)								
[illegible]	Teacher Grants PS @ 0.5	0	0	0.50	2562	1281.00	2562	1281.00	
	Teacher Grants UPS @ 0.5	0	0	0.50	1295	647.50	1295	647.50	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00	0.00	3857	1928.50	3857	1928.50	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
[illegible]	TLE PS @10	0	0.00	10.00	81	810.00	81	810.00	
[illegible]	TLE UPS @50	20	1000.00	50.00	76	3800.00	96	4800.00	
	TLE UPS @50 U.P.S. not covered under O. B. B.	0	0.00	50.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	20.00	1000.00	0.00	157.00	4610.00	177	5610.00	
(XX)	TEACHER TRAINING								
[illegible]	Induction Training of SM	0	0	0.07	211	443.10	211	443.10	30 days
[illegible]	In-service Training (HT,AT,SM & BRC/NPRC)	0	0	0.07	2491	3487.40	2491	3487.40	10 days
[illegible]	Teachers (UPS) In service	0	0	0.07	575	603.75	575	603.75	20 days
	TOTAL Teacher Training	0	0.00	0.00	3277	4534.25	3277	4534.25	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC								
[illegible]	VEC Training (30x2x8)	0	0.00	0.48	647	310.56	647	310.56	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00	0.00	647	310.56	647	310.56	
(XXII)	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00	0.00		524.00	0	524.00	
(XXIII)	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL	40	2360.00		141643	124445.51	141825	126805.51	

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Sant Kabir Nagar

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	81	20979	0	0	5	1280	0	0	86	22259
A2	New Upper Primary Schools	451	20	9020	76	21280	0	0	5	1400	0	0	101	31700
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	*Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)*	10	60	6300	60	7200	60	7200	60	7200	60	7200	300	35100
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	81	1093.5	81	2004.75	86	2128.5	86	2128.5	243	7355.25
A6	*Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06*	9	0	0	81	4374	81	8748	86	9288	86	9288	334	31698
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	228	13680	228	27360	243	29160	243	29160	942	99360
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	81	810	0	0	5	50	0	0	86	860
A8.2	UPS	50	35	1750	76	3800	0	0	5	250	0	0	116	5800
A9	TLE UPS not covered OBB	50	72	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	72	3600
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**20670**	0	**73216.5**	0	**45512.75**	0	**50956.5**	0	**47878.5**		**238332.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	142	2999.75	142	2999.75	142	2999.75	0	0	426	8999.25
A11.2	*Honraria*	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	*Contingency*	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE Primary(existing all models of DPEP(per child), Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	10	211.25	20	422.5	0	0	30	633.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	10	600	5	300	0	0	15	900
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	2	360	0	0	0	0	5	900
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	77	2602.6	77	2602.6	77	2602.6	0	0	231	7807.8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**20670.00**	0	**79358.85**	0	**52536.35**	0	**57531.35**	0	**48226.50**	0	**258323.05**
R	***RETENTION***		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	20	3820	20	3820	0	0	40	7640
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	5	1915	0	0	0	0	5	1915
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	125	8750	125	8750	81	5670	331	23170
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	0	0	32	2240	27	1890	0	0	69	4830
R4.1	Toilets Upper Primary	10	29	290	15	150	11	110	0	0	0	0	55	550
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	15	150	119	1190	100	1000	85	850	319	3190
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	25	450	26	468	0	0	51	918
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	14	252	0	0	0	0	14	252
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	699	3495	782	3910	782	3910	787	3935	3050	15250
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	93	465	103	515	206	1030	206	1030	211	1055	819	4095
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	914	22621.5	919	22745.25	953	23586.75	2786	68953.5
R7.3	*Salary of Additional Teacher (PS)*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*480*	*39*	*3744*	*74*	*7104*	*118*	*11328*
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	914	12339	5	123.75	34	841.5	35	866.25	988	14170.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	719	1438	783	1566	788	1576	788	1576	3078	6156
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	93	186	183	366	249	498	254	508	254	508	1033	2066
R12	**Promoting Girls Education**		0	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1162
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	20	90	10	45	0	0	30	135
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	0	0	10	750
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	8	32	8	32	0	0	16	64
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	5	125	5	125	5	125	15	375
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	32	44.8	32	44.8	32	44.8	96	134.4
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	*Development & Distribution of ECCE Materials*		*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	*0*
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	61	228.75	61	228.75	61	228.75	183	686.25
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	61	91.5	61	91.5	61	91.5	183	274.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	61	4.27	61	4.27	61	4.27	183	12.81
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	701	1962.8	701	1962.8	0	0	1402	3925.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	77	385	77	385	77	385	231	1155
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	647	310.56	648	311.04	648	311.04	648	311.04	2591	1243.68
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	*Special Interventions for SC/ST children*	*66.7*	*0*	*587*	*0*	*0*	*8*	533.6	*8*	533.6	0	0	16	1654.2
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	1400	0	5000	8	480	8	480	8	480	24	7840
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	907	2267.5	907	2267.5	907	2267.5	2721	6802.5
	RETENTION Sub Total		0	**4790**	0	**23763.56**	0	**55937.5**	0	**57219.01**	0	**49138.86**	**0**	**190848.94**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	211	443.1	5	10.5	39	81.9	35	73.5	290	609
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	105	220.5	0	0	5	10.5	54	113.4	35	73.5	199	417.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	2491	3487.4	2402	3362.8	2412	3376.8	2446	3424.4	9751	13651.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	575	805	575	603.75	1030	1081.5	1045	1097.25	1045	1097.25	4270	4684.75
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	995	1393	1005	1407	1039	1454.6	3039	4254.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	10	21	20	42	0	0	30	63
Q1.7	*Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)*	*0.07*	*0*	*0*	0	0	16	11.2	16	11.2	0	0	32	22.4
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	77	53.9	77	53.9	0	0	154	107.8
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	5	7	5	7	0	0	10	14
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	10	3.5	10	3.5	0	0	20	7
Q2	IED Provision for disable children	1.2	588	235.2	646	775.2	721	865.2	812	974.4	901	1081.2	3668	3931.2
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	3	6	3	6	3	6	9	18
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	680	340	2562	1281	3407	1703.5	3485	1742.5	3555	1777.5	13689	6844.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	0	0	1295	647.5	1042	521	1057	528.5	1057	528.5	4451	2225.5
Q5.3	*Free Text book PS*	0.05	0	0	92616	4630.8	91307	4565.35	93133	4656.65	94996	4749.8	372052	18602.6
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	16632	2494.8	35915	5387.25	26776	4016.4	27311	4096.65	27858	4178.7	134492	20173.8
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	782	11730	782	11730	782	11730	2346	35190
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	206	1545	206	1545	206	1545	618	4635
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**4095.5**	0	**17256**	0	**30919.85**	0	**31486.15**	0	**31732.45**		**115489.95**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	*Travelling Allowance*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	*Salary of Driver (where applicable)*	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	2	1600	0	0	0	0	2	1600
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	*Choldar one no. for 12 mths @ 3.0*	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	8	80	0	0	0	0	8	80
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	6	36	8	48	8	48	8	48	30	180
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	6	12	6	12	6	12	18	36
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	6	60	6	60	12	120
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	6	30	8	40	8	40	8	40	30	150
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	6	75	8	100	8	100	8	100	30	375
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	77	385	0	0	0	0	77	385
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77	308	308
C3.4	Contingency	2.5	0	0	77	192.5	77	192.5	77	192.5	77	192.5	308	770
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	77	184.8	77	184.8	77	184.8	77	184.8	308	739.2
C4	District Project Office/Management		0	510	0	1825	0	0	0	0	0	0	0	2335
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	7	1260	7	1260	7	1260	21	3780
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	8	80	8	80	8	80	24	240
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	8	960	8	960	8	960	24	2880
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	699	978.6	782	1094.8	782	1094.8	782	1094.8	3045	4263
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	128	179.2	103	144.2	206	288.4	206	288.4	206	288.4	849	1188.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	689.2	0	3543.1	0	6942.5	0	4897.5	0	4897.5		20969.8
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	524	0	0	0	0	0	0	1	524
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**689.2**		**4067.1**	0	**7466.5**	0	**5301.5**	0	**5301.5**	**0**	**22825.8**
	GRAND TOTAL		0	**30244.7**	0	**124445.51**	0	**146860.21**	0	**151538.01**	0	**134399.31**	**0**	**587487.74**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Sant Kabir Nagar**

			2002-03		2003-04		20004-05		2005-06		2006-07		Total
Civil			10010.0		42559.0		18727.0		18608.0		6520.0		96424.0
Management			179.2		1122.8		4747.2		4587.2		4587.2		15747.6
Programme			20055.5		80763.7		123386.0		128342.8		123292.1		475316.1
Total			**30244.7**		**124445.5**		**146860.2**		**151538.0**		**134399.3**		**587487.7**
Percentage - Civil			**33.1**		**34.2**		**12.8**		**12.3**		**4.9**		**16.4**
Percentage - Management			**0.6**		**0.9**		**3.2**		**3.0**		**3.4**		**2.7**
Percentage - Programme			**66.3**		**64.9**		**84.0**		**84.7**		**91.7**		**80.9**
Percentage - Total			100		100		100		100		100		100